#### (AMENDMENT) BILL. THE WAKF 1984

MR. DEPUTY CHAIRMAN; We will now take up the Wakf (Amendment) Bill, 1984. We have already discussed the Bill. So I hope the hon. Members will be very brief in thej, observations.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGANNATH KAUSHAL); Sir, it may be recalled that on 23rd July 1984, during the third reading of the Wakf (Amendm-it) Bill, 1984, in this honourable House I had stated that during the consideration of the Bill by the Lok Sabha such of the amendments with regard to which there is a consensus among the Muslim Members of Parliament and are acceptable to the Government may be commended by me to the Lok Sabha for its acceptance. It appears that some Muslim Members of Parliament had arrived at a consensus with regard to certain amendments which were urgently required to be made in the Bill. Those amendments being acceptable to the Government were commended by me to the Lok Sabha fo" acceptance and that House as accepted them. Tne amendments which were thus accepted were:

- 1. Elaboration of the connotation of the expression "person interested in Wakf' so as to cover 'a non-Muslim having an interest in a Wakf property to whom a notice as well as a reasonable opportunity of presenting his case have been given under section 4 of the Wakf Act. 1954."
- 2. 'Extension up to 30 years of the period of limitation for the institution of suits for the recovery of Wakf properties whicfo are in adverse position."
- 3. "Incorporation of a provision with retrospective effect empowering the Wakf Boards which have taken over the management of any evacuee vvakf property to function as a trustee of such property under section 11 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950."

This amendment became necessary by reason of a recent judgement of the Punjab and Haryana High Court in Wnich it was held that the Wakf Board, not being a trustee 'appointed under section 11 of the said Act, is not competent to institute such suits.

In view of the nature of the amendments which have been adopted by the Lok Sabha, I hope the amendments would be agreed to by the honourable House.

Sir, j beg to move;

"That the following amendments made by the Lok Sabha in the Wakf '(Amendment) Bill, 1984, be taken into consideration, namely;-

#### Clause 6

- 1. "That at page 4, after line the following be inserted, namely;—
  - '(a) in sub-seciion (1), the following Explanation shall inserted at the end, namely;-

"Explanation—For the pose of this section and section 6A, the expression "any person interested therein", occurring in sub-section (1) of this section and in sub-section (1) of section 6A, shall in relation to any property specified as wakf property in a list of wakf published, under sub-section (2) of section 5, after the commencement of the Wakf (Amendment) Act, 1984, shall include also every person who, though not interested in the wakf concerned, is interested in such property and to whom a reasonable opportunity had been afforded to represent his case by notice served on him in that behalf during the course of the relevant inquiry under section 4."

- 2. "That at page 4, line 2,—for '(a)' substitute '(b)'
- 3. "That at page 4, line 4,— for '(b)' substitute '(c)'

#### Clause 65

4. "That at page 49, 'after line 37, the following be inserted, namely:-

Period of limitation for recovery of wakf propertien to be thirty years.

The Wakf

66G. Notwithstanding anything contained Ia the Limitation Act, 1963 (36 of 1963) the period of limitation tor any suit for possession of immovable property comprised in any wakf or possession of any interest in such property sfiail be a period of thirty years and such period shall begin to run when thie possession of the defendant becomes adverse to the plintifi.

Special provision as to evacuee wakf properties.

66H. The provisions of this Act shall apply, und shall be deemed always to have applied, in relation to any evacuee property within the meaning of clause (f) of section 2 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 which immediately before it became such evacuee property within the said meaning was property comprised in any wakf and, in particular, any entrustment (whether by transfer of any documents or in any other manner and whether generally or for specified purposes) of any such property to a Board made before the commencement of the wakf (Amendment Act, 1984 in pursuance of the instructions of the Custodian under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) shall have, and shall be deemed always to have had, notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, effect as if such entrustment had operated to;

(a) vest such property in such Board in the same manner and with the same effect as in a trustee of such property for t'ne purposes of sub-section (1) of section 1' of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) with effect from the date of such entrustmeint, and

(b) authorise such Board to assume direct management of the wakf concerned for so long as it might deem necessary."

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN; There are many Members who want to speak. I would request them not to take more than five minutes each because the whole matter has been discussed already.

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu); Sir, one minute, not even five minutes.

Mr. Deputy Chairman, Sir, I have to say a few things in general. Even in the Constitution (Fifty-second Amendment) Bill which was brought to Parliament, the Government removed clause (c). If the hon. Minister, Mr. Jagannath Kaushal may remember, it was relating to the paramilitary forces. In respect of such Bills which are very important it is done, and I think this Bill itself was sent to an expert committee of Muslims and others, and all aspects were taken into consideration when this Bill was introduced in Raiva Sabha. Of course, as an afterthought, some amendments have been suggested by those concerned with the Bill and have been commended by the Minister, and it is quite acceptable.

Sir, even this morning Mr. Shahabuddin who was a Member of this House and is a leading Muslim functionary,' has given a statement that this Wakf Bill is having an eye on the elections. I do not agree with him, Sir, because the whole political process, everything, is there with an eye on the elections. This is a comprehensive piece of amendment which has bee« brought. I support and welcome this Bill.

But about nomination of the Wakf Boards, something has got to be dome. Even in Tamil Nadu, our Chief Minister, MGR, completely revamped the Wakf Board, and it is working quite properly.

[Shri R. Ramakrishnan]

Mr. Sulaiman Sait of the Muslim League, who is well versed with this matter, has made certain suggestions which have not been acceptable to the Minister. More representation should be given to other category of persons than what has been stated in clause 11 of this Bill. This may be considered by the Minister so that it will have relevance and all persons of the Muslim community can participate in this whole thing. I welcome and support tfae amendment, Sir.

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला (महाराष्ट्र) : आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। में माननीय कानून मंत्री जी और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की भी शुक्र गुजार हूं कि वह न सिफं वक्फ बिल जल्दी लाये बल्कि लोकसभा के अंदर जो एम पीज हैं और यहां के जो एम पीज हैं उनकी राय लेकर, इसमें अमेंडमेंट जो उन्होंने पेश किये, उनको इसमें इन कारपोरेट कर दिया और आज दुवारा इस बिल को हाउस में लाये इसलिये में बहुत शुक्र—गुजार हुं और उन्हों मुवारकवाद देती हूं।

एफ दो लफज अमेडमेंट के बारे में बोलना चाहती हूं। जो अमेंडमेंट आपने इसमें रखा कि वक्फ कमिशनर को बाई ए एस आफिसर बनाया जायेगा, मेरी यह दर्खास्त है कि इस पर सख्ती से अपाबन्द रहें ताकि जो समझदार धाफिसर होगा वह तरीके के साथ वक्फ का काम चला सकेगा। दूसरे जो वक्फ कमीशन में चेयरमैत बनाने की तजवीज को त्तसलीम नहीं किया गया इसके लिये में आपको मुबारकवाद देती इसका खैरमकदम करती हूं। क्योंकि इस कमेटी के अंदर पालियामेंट और असैम्बली के मैम्बर होंगे उन्हीं से चूनकर जो चेयरमैन होगा वही ठीक रहेगा। तीसरे जो प्रापने लिमिटेशन 12 साल से 30

साल की है उसका भी मैं खैरमकदम करती हूं। अगर वजाय 30 साल के उट मुकरंर होती, 1947 की डेट मुकरंर होती तो मेरे ख्याल में ज्यादा वेहतर होता । तमाम प्रोपर्टी जो है, हिन्दूस्तान के बटबार के बाद ही बहुत वड़ी प्रोपर्टी बक्फ की पंजाब और हरियाणा की जो है उसके झगड़े पड़े हुए हैं । 12 से 30 साल की है इसके लिये भी मैं आपकी खुकगुजार हूं।

चौथे जो क्लाज 6 में ग्रमेंडमेंट है उसका भी मैं खैरमकदम करती हु क्योंकि इसकी वजह से वक्फ प्रोपर्टी जो नजायज बन गई है बेईमान लोग किसी तरीके से हड़प सकते हैं और वह गैर मुस्लिम के प्रोपर्टी को दवा सकते करके, थे। उसके लिये जो ग्रापने रोकथाम की है उसके लिये में ब्रापकी शुक्रगुजार हूं। अगली बात में यह कहना चाहती हं कि वक्फ इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि वक्फ क़ौंसिल क़ो भंग कर दिया जाए उसको आपने नहीं माना, भी आपने सही काम किया । क्योंकि यह जो सेन्ट्रल वक्फ कौंसिल है, मरकजी वक्फ कौंसिल है, यह बहुत अच्छा काम कर रही है। जो कस्टोडियन की प्रोपर्टी है उसके बारे में जैसा कि मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि भ्रदालत ने फैसला दिया या कि उसमें वक्फ बोर्ड का कोई हक नहीं है। इस बिल के लिए हम मिनिस्टर साहब के शुक्रगुजार हैं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जो वक्फ की प्रापर्टी है उसको रेन्ट कंट्रोल से अलग कर देना चाहिए क्योंकि यह लाखों और करोड़ों रुपयों की जायदाद है, लेकिन सी या दो सी रुपये में दी गई है। अगर इसको रेन्ट कंट्रोल से अलग रखा जाएगा तो यह एक बहुत अच्छा काम होगा । इसके प्रलावा में यह भी कहना

चाहती हूं कि वजीरे ग्रांकम ने एक चिट्ठी लिखी यी ग्रीर वह चिट्ठी सभी स्टेट्स को भेजी गई थी कि वक्फ की जो प्रोपर्टी है उसके बारे में क्या किया जा रहा है।

श्री उपसभापति : ग्रव श्राप समाप्त कीजिये ।

भी सैयद धहमद हाशमी (उत्तर प्रदेश) : जनाव, यह बहुत सेंसिटिव मामला है। इसके लिए दो तीन मिनट बहुत कम हैं।

श्री उपसभापति : इस विल पर पूरी बहुस हो चुकी है।

डा० (भीमती) नाजमा हेपतुल्ला : में हाशमी साहब से कहना चाहती है कि ग्रगर सरकार की मंशा नहीं होती तो कोई जरूरी नहीं था कि लोक सभा में पास करने के बाद इतनी जल्दी इसकी यहां पर लाती । मैं यह कहना चाहती हं कि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसके बारे में कई सरकारों ने जवाब नहीं दिया है। उनसे अगर इस बारे में जवाब जल्दी मंगा लिया जाय तो अच्छा रहेगा । इससे वक्फ को फायदा होगा । यह लाखों करोड़ों रुपयों की प्रापर्टी है। इससे सारी कीम को फायदा होगा। जो लोग वक्फ के इंचार्ज हैं वे झगर इस करोड़ों रुपयों की प्रापर्टी को बच्चों और नवजवानों की तालीम पर खर्च करें तो इससे कीम के बच्चे पढ़-लिखकर देश की तरककी में मपना योगदान दे सकते हैं।

श्री सैपद ग्रहमद हासमी : मि० डिप्टी चेपरमेन साहब, मैं ग्रीनरेबल मिनिस्टर साहब को, ग्रपने बुजुर्ग दोस्त मि० जगननाय कौशल जी को मामूस नहीं करूंगा, मैं जहर उनकी तारीफ करूंगा कि उनका जाती इंटेशन रहा है कि यह बिल जल्दी श्राए । वे हमारे दोस्त रहे हैं । लेकिन वे मुझे नहीं पहचानते हैं, लेकिन मैं उन्हे पहचानता हूं । इस तरीके से हमारी हकी-छिपी दोस्ती रही है। मैं चाहता हूं कि मैं इस बात का इजहार कर दूं कि मैं उन्हें यकीनन मुबारकवाद देना चाहता हुं कि उनका इंटेशन अच्छा रहा है। लेकिन इस बिल के बारे में मैं कुछ वाते जरूर कहना चाहता हुं। जहां मैं उनको परसनली मुवारकवाद दे रहा हूं वहीं में गालिय का एक भेर धर्ज कर देना चाहता हुं। मुझे पता नहीं है कि हमारे मिनिस्टर साहब को उर्दू घदब में कुछ दिलचस्पी है था नहीं ।

कोई मेरेदिल से पूछे कि तेरेती रेनी मे कण को, यह खलिस कहां से होती जो जिगर के पार होती।

अगर यह कहा जाय कि*य*ह विल पूरे वमफ को डिपार्टमेंटल या हुकूमत का महकमा बना लेला तो शायद इस पर इतना एतराज नहीं होता ! डिपार्टमेंट की तरह से वक्फ का सिलसिला काम करेगा। लेकिन ये ऐसे सफी हैं कि एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाब से खींच लेते हैं। झाप गौर करें, मैं सिर्फ एक रेफरेन्स देना अवाहंगा कि प्रिसिपन वक्फ एवट् सन 1954 का है उसके सेक्शन 15 में वक्फ बोर्ड के अख्तियारात का वयान किया गया है । सेक्शन 15 में वनफ बोर्ड को ग्रस्तियारात देने के वावजद इस एमेन्डिंग विल के अन्दर सेक्शन 21(डी) को मेरी समझ में नहीं **प्रांता कि किस तरह से ला मिनिस्टर आंखों से सोप्तल** कर गये हैं । यह , जानबृझकर ऐसा किया गया है, दोनों में कन्द्राहिक्शन है । ग्रगर 21(ही)

## [श्री सैयद ग्रहमद हासमी]

है तो सेक्शन 15 बिल्कुल बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सेक्शन 15 जो है वह मैं आपके सामने पेश कर दुं:

"Subject to any rules that may be made undei' this Act, the general superintendence of all wakfs in, a State shall vest in the Board established for the State and it shall be the duty of the Board so to exercise the powers under this Act as to ensure that the wakfs under its superintendence are properly maintained, coptrolled and administered and the income thereof is duly applied to the objects 'and for the purposes for which such wakfs were created."

इसके बाद ये पूरी दफात दी गई हैं, जिन्हें कि मैं छोड़ रहा हूं। अगर इसको देख लीजिये तो इसके मुकाबले 21(डी) है। जिसके अन्दर, इस ऐक्ट के अन्दर मेम्बर सेकेटरी जिसे वक्फ किमक्तर कहा गया है उसको जो पावर्स दी गई हैं, अगर उन पावर्स को इसी तरीके से रहने दिया गया तो वक्फ बोर्ड फरायद मेंटेन नहीं कर सकता है।

#### इसमें है कि :

"Where the Wakf Commissioner considers that an order or resolution passed by the Board—

- (a) has not been passed in accordance with law; or
- (b) is in excess of, or is an abuse of, the powers conferred on the Board by or under Ihis Act or by any other law; or
  - (c) if implemented is likely io-
  - (i) cause financial loss io the Board or to the concerned wakfs generally, or

- (ii) cause danger to human life, health or safety, or
- (iii) lead to a riot or breach of the peace, or
- (iv) is not beneficial to the Board or to any wakf or to wakfs generally,

he may, without implementing such order or resolution place the matter before the State Government along with a note pointing out the objections which he has to the order or resolution, as the case may be, and the orders of the State Government thereon shall be final and binding on the Board and the Wakf Commissioner."

श्री उपसभापित : आप पढ़िये नहीं। ये सब बाते पूरी हो गई हैं। अमेंडमेंट पर जो कहना है वह कहिये। आप इस पर पूरी डिबेट मत कीजिये।

श्री सैयद ग्रहमद हाशमी: मैं अर्जं कर रहा था कि उस पावर के मातहत इस वक्त बोर्डं के कांस्टिट्यूणन का कोई फायदा ही नहीं है। ग्राप गौर करें न सिर्फं एक नोट पेश करेगा, जिस ग्रांडंर से, जैसा रेजोल्यूशन... (समय की घंटी) ग्राप कह दीजिये कि मैं बैठ जाऊं। ग्रभी तो मैं मेन ग्राइटम पर भी नहीं ग्राया।

श्री उपसमापति : इस पर पूरी डिबेट हो चुकी है।

श्री सैयद ग्रहमद है।शमी : मैं फिर ग्रर्ज करूंगा कि जानबूझकर कांसपरेंसी की गई है जिससे ग्रपोजीशन के मेम्बर इसमें हिस्सा न ले सकें। ग्रापने पाबन्दी लगा दी है, हम बोल नहीं सकेंगे, पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते।

श्री उपसभापति : यह सारामसला तोखत्म हो गया है।

श्री सैयद ग्रहमद हाशमी । हम भी खत्म हो जाय, बैठ जाये ?

श्री उपसमापति : बैठ जाइये । श्री सैयद ग्रहनद हाशनी : यह क्या बात हुई ।

जनाबेग्राला, वह वक्फ कमिश्नर कर सकता है, रिपोर्टिंग की हद तक वह स्टेट गवर्न मेंट को बीफ करेगा । इसमें भी वक्फ बोर्ड के मेम्बरों का ग्रवीयर होना जरूरी नहीं है । वन-साइडेड फैसला हो जायेगा। सब को स्परसीड कर दिया। उसके बाद, श्राप गौर करें कि प्रिसियल एक्ट की सेक्शन 63 में ग्रालरेडी यह होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा चका है पहले ग्रोर दिलचस्य बात यह है कि 53 ग्रीर 53(बी) के ग्रंदर ग्रापने गीया इसको ब्राड कर दिया है, जो रोजमर्श-डीलिंग करने में वक्फ बोर्ड के फंक्शनिंग में इंटरिक पर करते रहेंगे।

मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि यह शक्ल जो कमिश्नर की है, मैंने इसके मुस्तालिक अर्ज किया, बहुत कुछ शिकायतें करनो थीं कि भ्रापके रेंट कंट्रोल ग्रीर लैंड रिकाम्सं के नतीजे के ग्रन्दर माज कबिस्तानों की जमीने विलेजेज के अन्दर ग्राम-पंचायतें समाधों के हाथ में चली गई हैं, किस तरह से कब्जे हो रहे हैं, नाजायज कब्जों के बारे में मझे सारी चीजें कहनी थी, लेकिन यह एक ऐसा तीरे निमकश है कि इस ने सब को बराबर कर दिया । जहां तक आप यह अमेंडमेंट जो लाए हैं यह सेक्शन 6(ए) इस एक्ट के अन्दर जायत किया गया है, हमारे ला मिनिस्टर साहब को मालुम है कि ग्रालरेडी वक्फ कमिश्नर बनाया गया इसलिए कि बक्फ जायदादों का सर्वे करे गजट करें और वक्फ जायदादों का सर्वे करने के बाद ग्रगर ग्राप उसे यह ग्रहितयार देते हैं यानि उसमें मजीद अमेंडमेंट हो कर, पहले इंट्रेस्ट था अब तो

यह है कि इंट्रेस्ट हो या न हो, अपने ग्रस्तियार दे दिया कि कोई दरख्वास्त वेदेकि यह जायदाद वक्फ नहीं है ऐसे किसी भी मसले के अन्दर वे सारी प्रोसीडिंग्ज फिर से शरू हो जाएंगी मसला वो हो जाएगा । हम यह कहते हैं कि वक्फ इन्क्वायरी कमेटी की बनियाद के ऊपर यह कहा जाता है, यह उसकी बुनियाद पर लाया गया है, ग्रौर वक्फ इन्क्वायरी कमेटी ने इस एस्पेक्ट को गौर किया ग्रीर गौर करने के बाद लीगल एडवाइस ली और उसके अन्दर उन्होंने इस बात को रिक्मेंड किया कि जब ऐसी शक्ल हो तो उन शक्लों के ग्रन्दर जहां पर वक्फ कमिइनर की प्रोपर इन्क्वायरी नहीं की, नहीं हो सकी है वहां तो यह हक दिया जा सकता है कि उसके लिए कोई एंप्लीकेशन कब्ल की जाए और उस मसले को रिम्रोपन किया जाए वरना रियोपन नहीं करना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं किया । ग्राप ने सेक्शन 6(ए) बढ़ा कर के एक नया तरीका खोल दिया गया है जिससे कि जितनी प्रोसीडिंग्ज हैं ग्रापके सर्वे की वह सभी चैलेंज हो जाएंगी, कोई बाकी नहीं रहेगीं । अब आई है हमारी अमेंडमेंट मजीद वक्फ एक्सटेंशन के सिलसिले के ग्रन्दर एक बात गौर करें यह देखें कि वक्फ एक्सटेंशन लिमिटेशन किन हालात में हुया ? यह वक्फ लिमिटेशन एक्ट जो है यह महक के बंटवारे की बैकग्राउंड में ग्राया था। पोजीशन ऐसी थी कि किसी वक्फ जायदाद के बारे में अगर कोर्ट में भी जाएं और गजट होने के बावजद अगर देख लिया जाए, कोई मददई ग्रगर पेश करे कि या वक्फ बोर्ड . ग्रगर मददई बने तो ग्रापके मेजीस्ट्रेट खारिज कर देते थे कब्ल नहीं करते थे इस बैकग्राऊंड के अन्दर वक्फ एक्सटेंशन लिमिटेशन एक्ट बना महज इसलिए कि जो हालात हैं उनसे निपटा जाए उसका

[श्री सैंथव ग्रहमव हाशमी]

The Wakf

151

मतलब यह नहीं था कि किसी वक्फ को एक मददत तक मुकरर्र करने के बाद एडवर्स पोजीशन हो गई लिहाजा उसको हम निपटा दें। इस सिलसिले के अन्दर मैंने एक बात कही थी कि वक्फ इन्क्बायरी कमेटी ने वक्फ एक्सटेंशन लिमिटेशन एक्ट के बारे में भी अपनी रिपोर्ट जो दी है उसके श्रन्दर बनियादी तौर से डिमांड किया है इसको लाने के लिए लैंग्य ग्राफ टाइम से बाऊंड न किया जाए ग्रौर ग्रानरेवल मिनिस्टर साहब यह वक्फ इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पेज 62 के ग्रन्दर यह देख लें कि उन्होंने चेपटर 11 के अन्दर इसको दिया है और इसको वे गौर से पढ लें। अगर में पढ़ंगा तो आप कहेंगे कि टाइम ज्यादा हो रहा है। परा पैरा है जिस में उन्होंने कहा है कि एक्ट के अन्दर शामिल किया जाए । इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है कि इसको टाइम वाऊंड किया जाए । मैं समझता हूं कि यह सारी चीजें जो ग्रापके वक्फ़ के सिलसिले के ग्रन्दर हैं ग्राप उनके ऊपर गौर करें तो मालूम होगा । यह ठीक है मैंने इसकी तारीफ की है, पेशकदमी है लेकिन यह एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से लेने की बात है। सैक्शन 15(ए), 15(डी) में वक्फ प्रोपर्टीज के डवलपमेंट का जिक्र ग्राया है लेकिन उसको मास्टर प्लान से ग्रनेक्स कर दिया गया है । मास्टर प्लान का इसी दिल्ली के अन्दर जो हुआ है वह बता दूं? एक तो जितनी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं वे ग्रीन युज दिखला दी गयी हैं और मेरे ख्याल में मुल्क के हर हिस्से के श्रंदर उसका लैंड युज ग्रीन ही दिखला दिया गया है श्रीर मास्टर प्लान हजारों कोशिशों के बाद भी मंजुर नहीं होता है। मैं खुद बक्फ बोर्ड का चेयरम न रहा हं जानता हं कि ग्रपने एक प्रोजेक्ट के लिए हजार कोशिशें की कि लैंड यज इसका चेंज हो जाये लेकिन नहीं हो सका !

जाहिर है कि ग्रापने तो कहा कि उसका डेबलपमेंट हो तो डेबलपमेंट तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसका यज जो है वह ग्रीन है। ऐसी जमीनों के लैंड युज की तब्दीली के लिए दरख्वास्त देने का वक्फ बोर्डी को हक होना चाहिए (समय की घंटी) ग्रव में क्या वतलाऊं।

**भी उपसभापति:** 13 मिनट हो गये हें ग्राप खत्म करिये।

श्री सैयद ग्रहमद हाशमी : वर्नी फमेटी के सिलसिले के ग्रन्दर कहना चाहता हुं कि वर्नी कमेटी का यह इच्यू था। ब्राप ही की गवर्नमेंट के ग्रंदर सेटल हो चका था । बीच में एक पीरियंड ऐसा शाया जबिक ग्राप नहीं थे । उसके वाद यह मतालवा था कि वर्नी कमेटी का उम्प्लीमेंटेशन हो लेकिन वह नहीं हुआ। उसका इम्प्लीमेंटेशन युं हुआ कि उसकी जायदादों जो फेहरिस्त में थीं उसको दिया जाए, किस तरीके से वक्फ बोर्ड को ? इस तरीके से दिया गया कि उसकी द्योनरिशप गवर्नमेंट की कायम रहे ! नतीजा यह हुआ कि उस पर रिट दाखिल हो गयी श्रीर वह वक्फ बोर्ड के हवाले नहीं हो सकती है अगर उसकी ओनरशिप वाकी रही।

मैं कहता हूं कि सेक्शन 36 दी में नाजायज कब्जे को खत्म करने के जो वक्फ कमिश्नर को अखितयारात दिये गये हैं वे नाकाफी हैं। एक तरफ वक्फ कमिण्नर के आपने इतने अख्तियारात बढा दिये हैं लेकिन टाइटल के सूट कितने पड़े हए हैं ? समरी इविक्शन के भी ग्रापने ग्रस्तियारात कमिश्नर को नहीं दिये। में कहता हं कि जिस तरीके से ग्रान्झ प्रदेश के अंदर हिंदू चैरिटेबुल रिलीजियस इंस्टीटयूशन्स इन्डाउमेंट एक्ट है उसके तौर पर ही ग्राप ग्रस्तियारात देंगे तक जाकर वह होगा।

इनो तरीके से आपने ट्रिब्यूनलस किये, बड़ी अच्छी बात है। यू ज्मी एक्ट का तजुर्बा है कि ट्रिब्यूनलस हैं लेकिन अगर आप उसमें सोमित नहीं करते हैं कि इतने बक्त तक ट्रिब्यूनल अपना फैसला दे दे तो लिटीगेशन की वही शक्ल अपने यहां पर बाकी रहेगी और कायम रहेगी। आप इसको न भूलें।

अब एक और वात आप समझें कि इन्क्रोचमेंट ग्रीर नाजायज कब्जे के ग्रंदर सिर्फ प्राइवेट लोग नहीं हैं, खद गवर्नमेंट है। ग्रापके दिल्ली के ग्रंदर एशियाड खेलों के ग्रंदर इन्होंने कन्निस्तानों पर ग्रोवर बिज बनाये । ग्रापके कोटा राजस्थान के ग्रंदर, डेवलपमेंट ग्रथारिटीज ने कंस्ट्रक्शन किये । जाहिर है कि अगर इन्कोचमेंट को खत्म करना होगा तो खुद स्टेट गवर्नमेंट को इस वात का लिहाज करना पडेगा । ग्रापको गाइड-लाइन्स देनो पड़ेंगी कि जिससे कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वे रहनमाई न करें या वह सिम्बल न बन जायें इस बात का कि नहीं साहब इन जायदादों का कोई माई वाप नहीं लिहाजा इन पर कब्जा कर लो, कोई बोलने वाला नहीं है, हजार कहने के बावजद ।

स्रापके लैंड रिकाम्सं एक्ट हैं। लैंड रिकाम्सं एक्ट के लागू होने के बाद देहातों के संदर जितने कि सिस्तान हैं वें सब के सब प्राम पंचायतों के कब्जे में चले गये। जाहिर है कि दिवानी रिकार्ड, रेकेन्यू, रिकार्ड के संदर कि सस्तान नहीं दिखलाये गये हैं। लेकिन स्रापने वक्फ बाई यूजस जब तस्तीम किया तो कोई वजह नहीं कि कि सस्तानों को उसी तरीके से तस्तीम न किया जाये। स्राज नतीजा यह है कि न सिर्फ कब्जे हो रहे हैं बिल्क हो यह रहा है कि उसके नतीजे में फसादात हो रहे हैं। तो इन सक्तों को भी स्राप

देखें । ग्रापने बहुत जल्दी से जिस तरीके से कोई मन्तर पढ़े, उस तरह से मंतर पढ़वा दिया है श्रीर सही बात यह है कि इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर दिथा है इंतने सेंसिटिव श्रीर ग्रहम मसले के श्रंदर । बहरहाल जो मैंने बुनियादी बातें कहीं हैं मैं समझता हूं कि ग्रानरेबुल मिनस्टर जरूर उन पर तवज्जह देंगे ।

†[شری سید احمد هاشمی (ادر پرديم): مستر ديتي چهدرمهن. میں آنریبل منستر صاحب کو ایے بزرك دوست مستو جكن ناته كرشل جی کو مایوس نہیں کروں کا - میں ضرور ان کی تعریف کروں کا که انکا انتهشو رها هے که یه بل جلدی آئے-وہ همارے دوست رہے هيں - ليكن وہ مجهے نہیں پہنچانتے میں - لیکن میں انبیں پہنچانتا ہوں - اس طرح هماری ڈھکی چھپی دوستی رهی ہے -میں چاھتا ھوں که میں اس بات کا اظہار کر دوں که میں انہیں یقیناً مهارکیاد دینا چاهتا هوں که ان کا انالیشن اچها رما ہے - لیکن اس بل کے بارے میں میں کھت باتیں ضورر كرنا چاهدا هون - جهان مين انكو پرسللی مہارکباد دے رہا ہوں وہیں میں فالب کا ایک شعر عرض کردیدا چاهتا هون - مجه يته نهين هے كه همارے [منسلر صاحب کو ادب سے دلجسپی هے یا نهیں ..... کوئی میرے دل سے پوچھے

کوئی مہرے کال سے پوچھے کہ تیرے تیر کس سے یہ خلص کہاں سے ہوتی جو جکر کے پار ہوتا۔

<sup>\*[ ]</sup> Transliteration in Arabic script.

[شرى سهد احمد هاشمي] ادر يه كها جائے كه يه بل بورے وقف کو ڈیھارٹمھلٹ یا محکمہ بقالے تو اس پر کوئی اعتراض نهیں هوا -قیهار آمیدت کی طرح سے وقف کا کام کرنے کا لهکن يه ايسے سختي هيں که ایک ماته مدیتے هیں اور دوسرے ھات، سے کھیلی لدیے ھیں - آپ فور کریں میں صرف ایک ریفرینس دینا چاهوں کا که پرنسپل وقت ایکت سن ۱۹۵۳ کا هے اس کے سیکشن او میں وقف ہورت کے اختیارات کو بیان کیا گیا ہے - سیکشی 10 میں وقف بورة كو اختهارات دينے كے باوجود اس امیلڈنگ بل کے اندر سیکشن ۱۱ (قی) کو میری سعچه میں نہیں آتا که کس طربہ سے لا منسٹو آنکھوں سے اوجھل کو گئے ھیں۔ یہ جان بوج کر ایسا کیا گیا ہے - دونوں مهن کنترادکشن هے - اگر ۱۱ (ق) ھے تو سیکھی 10 بالکل بیکار ہے اسکا كولى فائدة نهين هے - اس لئے مين چاعتا هوں که سیکشن ۱۵ جو هے وہ میں آپ کے سامنے پیش کردوں -

"Subject to any rules that may be made under this. Act, the general superintendence of all wakfs in a State shall vest in the Board established for the State and it shall be the duty of the Board so to exercise the powers under this. Act as to ensure that the wakfs under its superintendence are properly maintained, controlled and administered and the income thereof is duly applied

MamchaiKl 1019 RS 8x10x14 26-9-541

to the objects and for the purpose for which wakfs were created."

اس کے بعد سے پوری دفعات دی گئی

ھیں - جلمیں کہ میں چھوڑ رھا

ھوں - اگر اس کو دیکھ لھجگتے تو اسکے

مقابلے ۱۱ (تی) ہے - جس کے اندر

اس ایکت کے اندر ممبر سیکریٹری

جسے وقف کمشفر کہا گیا ہے اس کو

جو پاررس دی گئی عیں اگر ان

پارروں کو اسی طریقہ سے رھنے دیا

گیا تو وقف ہورت فرائض مینٹین

نہیں کر سکا ہے -

### اس مهي هے که . . . . .

"Where the Wakf Commissioner considers that an order or resolution passed by the Board—

- (a) has not been passed in ac cordance with law; or
- (b) is in excess of, or is an abuse of, the powers conferred on the Board by or under this Act or by any other law; or
  - (c) if implemented, is likely
    - (i) cause financial loss to the Board or to the concerned wakfs generally, or
  - (ii) cause .danger to human life, health or safety, or
    - (iii) lead to a riot or breach of the peace, or

he may, without implementing such order or resolution place the matter before the State Government along with a note pointing out the objections which he has to the order or resolution, as the case may be, and the

orders of the State Government thereon shall be final and binding on the Board and the Wakf Commissioner."

†[شری اب سههایتی: پرهگر نهیں-

یه سب بات پوری دو کئی هـ -اميلةميلت يرجو كهلا هي ولا كهائي -آپ اس پر پوری قبیت مت کهجئے۔]

†[شری سید احمد هاشمی : میں عرض کر رہا تیا کہ اس پاور کے ماشحت اس وقف بورة كے كانستى تهوشن کا کوئی فائدہ هی نهیں ہے -آپ فور کویں - نه صرف ایک نوط پیش کرے کا - جس ہورڈ سے - جیسا رزوليشن . . . (وقت كي گهناي) . . . آپ کهدیجئے که میں بهتر جاوں

†[شری آپ سمهایتی : اس پر پوری دَبهت هو چکى فے -

ابهی تو میں آئٹم پر بھی نہیں آیا -]

†[شری سید احمد هاشمی: میں پهر عرض کرون کا که جان بوجهکر کالسپریسے کی گئی ہے جس سے اپوزیشن کے معدر اس مهن حصه نه لے سمیں - آپ نے پابلدی لکا دی ہے -هم يول نهين سكهن كي - يانيم ملت سے زیادہ نہیں بول سکتے ۔]

†[شری اب سبهایتی : یه سارا مسئله تو ختم هو کیا هے -]

†[شرى سيد احمد هاشمى: هم بهى ختم هو جائيس - بيته جائيس -] †[هری اب سبهایتی: بیتو جایئے -]

الشرى سيد احمد هاشمى: يه كيا بات هودُى - جلاب وإلا ولا وقف كمشلو کر سکتا ہے - رپورٹنگ کی حد تک ولا اُستیت گورنمات کو پریف کر کا-اس میں بھی رقف ہورت کے سمبروں اليير هونا ضروري نهين هـ م ون سائيدة المصلة هو جائے کا - سب کو سهر سهد كر ديا - اسكير بعد آب غور كريس كه پرنسپل ایکت کی سیکشن ۹۳ میں ألريد يه دولا كه استهت كورنملت کو دیا جا چکا ہے پہلے اور دلج سپ یات یہ ہے کہ ٥٣ اور ٥٣ (بي) کے اندر آپ نے کویا اس کو براۃ کر دیا ہے - جو روز مرة قيللگ كرنے ميں وقف ہورہ کے فلکشلنگ میں الترفیکر کوتے رہیں گے ۔ .

سر - مهرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شکل جو نبشتر کی ہے میں نے اسک مطابق عرض کیا -بهت کچه شکایتهی کرنی تهیی - که آپ کے ریلت کنٹرول اور لیلق ریفارمس کے تعیدی کے اندر آے تبرستانوں کی زمهن ولهمو کے اندر کرام پنجایت سبهاؤں کے مالھ میں چلے گئی ہے۔ عس طرم سے قبقے ہو رہے ہیں۔ تاجائو قبضوں کے ہارے میں مجھ سارى چيزين كېئى تهين - ليكن يه ایک ایسا تهر نهم کش هے که اس نے سب کو ہرایر کر دیا - جہاں تک [RAJYA SABHA]

159

[شرى سيد احمد هاشمي] أب اميندَمينت جو الله هين يه سيكش ٢ (اله) اس ايكت نے الدر والد كيا كها هے - همارے منستر صاحب كو معلوم هے كه آلزيدي وقف كمشلن بنایا کیا اس لئے که رقف جائدادوں کا سروے کرے گزے کریں اور وقف جائدادوں کا سروے کرنے کے بعد اگر آپ اسے اختمار دیتے میں یعنی اس کے مزید املڈمینٹ ہو کر پہلے انتریست تها آب تو یه هے که انتریست هو یا نه هو- آپ نے اختیار دے دیا که کوئی درخواست. دے دے کہ یہ جائداد وقف نہیں ہے -ایسے کسی بھی مسللہ کے اندر وا ساری پررسهدنگ پهر سے شروع هو جائے گی - هم يه كهتے هيں كه وقف انہوائری کمیتی کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی بنیاد۔ پر لایا گیا ہے اور وقف انکوائری کمیتی نے اس ایسپیکت کو غور کیا اور غور کرنے کے بعد لیکل ایڈواٹس لی اور اسکے اندر انہوں نے اس بات کو رکمند كيا كه جب ايسي شكل هو تو ان شکلوں کے اندر جہاں پر وقف کمشفر کی پروپر انکوااری نہیں کی - نہیں هو سکی هے وهاں تو یه حق دیا جا سکتا ہے کہ اس کے لئے کوئی اہلیکیشن تبول کی جائے اور اس مسئلہ کو ری ارین کیا جائے - رزنه رمی اوپن نهیں کرنا چاہئے لیکن ایسا نہیں کیا - آپ نے حیکشن ۲ (اے) بوها

کر کے ایک نیا طریقہ کھول دیا ہے جس سے که جالی پروسیڈنگ ہے آپ کے سروے کی وہ سبھی چیلنج هو جائهلگی کوئی باقی نهیں رہے كى - اب أئى هے هماري املاميدے مزید ایکستینشی کے سلسلے کے اندر -ایک باست غور کریں یہ دیکھیں که وتف ايكستهدي لمتهشق كن حالات مين هوا - يه وقف لميايش ايكت جو ہے وہ ملک کے بتوارے کے بیکگراؤنڈ میں آیا تھا۔ اپوزیشن ایسی تھی کہ کسی جائداد کے بارے میں اگر کورت میں بھی جائیں اور گزے ہونے کے باوجود اگر ديكه ليا جائي - كوئي مدعى اگر پيش كرے يا وقف بورة اگر مدعی بلے تو آپ کے مجسٹریت خارج کر دیتے تھے قبول نہیں کرتے تھے۔ اس بیک گراؤنڈ کے اندر وقف ايكستيده و لمتيش ايكت بنا - محض اس لئے کہ جو حالات میں ان ہے نيتا جائے - اس كا مطلب يه نهين تها که کسی وقف کو ایک مدت تک مقرر کرنے کے بعد ایڈبورس پوزیشن هو کدی - لهذا اس کو هم نیاها دین -اس سلسلے کے اندر میں نے ایک بات کہی تھی که وقف انکوائری کیلئی نے وقف ایکساینشن امیایشن ایکت کے بارے میں بھی اپلی زپورے جو دی ہے اسکے اندر بلیادی طور سے دیماند کیا ہے اس کو لانے کے ایم دد لیلتو آف ٹائم ،، سے باؤنڈ ته کیا

The Wakf

که لیلل یوز اسکا چیلیج هو جائے لهکن نهیں هو سکا - ظاهر هے که آپ نے تو کہا که اسکا دولهمیلت هو دو دولهمیلت هو دولهمیلت دو دولهمیلت دو دولهمیلت دو دولهمیلت دو دولهمیلت دوله دولت کیلئے درخواست دیلے کا وقف بوردوں کو حق هونا چاهئے . . . . (وقع کی گیلئے درخواست دیلے کا وقف بوردوں کی کیلئے درخواست دیلے کا وقف بوردوں کی کیلئے درخواست دیلے کا وقف بوردوں کی کیلئے درخواست دیلے کا وقف بوردوں کیا بتاؤں ۔

†[شری اب سبہاپتی : ۱۳ ملت هونکے هیں آب ختم کریڈے -]

†[شری سید احمد هاشمی: برنی کمیٹی کے سلسلے کے اندر دہنا چاھتا موں که برنی کمیٹی کا یہ ایشو تھا ۔ آپ ھی کی گورنمات کے اقدر سیٹل می چکا تبا - بیچ میں ایک پیریڈ ريسا آيا جهكه آپ نههن ته - اسكم بعد یه مطالبه تها که برنی کمیتی كا إسيليميناليشي و ليكن يه نهين هوا - اسكا امپلهمهنگوشي يون هوا که اسکی کچه جائدادین جو فهرست ميں تهيں اسمو ديا جائے ۔ كس طریقه سے وقف بورة کو ۔ اس طریقه سے دیا گھا کہ اسکی آئر شپ گورنبلت کی قائم رہے - نتهجه یه هوا که أس هر رق داخل هو كلى اور وه وقف بورة كے حوالے نهيں هو سكتى هے -اگر اسكى آنوشپ باقى رهى -

میں کہتا ہوں که سهکھی ۳۹ (بی) مهن ناجائز قبقت کو څتم کونے

جائے اور آنویمل منستر صاحب یه وقف انکوائری کی رپورٹ پیج نیبر ۱۲ کے اندر یہ دیکھ لیں که انہوں نے چیپٹر ۱۱ کے اندر اسمو دیا ہے اور اسعو ولا فور سے پوھه اين - اگر مين پوھوں کا تو آپ کھیں گے که ٹائم زیادہ هو رها هے - پورا پیرا هے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایکت کے اندر شامل کیا جائے - اس لئے اسکی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسکو ٹائم باؤند كها جائے - ميں سمجهتا هوں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کے وقف کے سلسے کے اندو میں آپ انکے اوپر غور کریں تو معلوم هوگا - په تهیک ہے میں نے اسکی تعریف کی ہے۔ پیش قدمی هے - لیکن یه ایک هانه سے دیئے اور دوسرے ھاتھ سے لیلے کی بات هـ - سيكش ١٥ (اع)--١٥ (قي ) میں وقف پروپرٹیز کے دولھمیلت کا ذکر آیا ہے - لیکن اس کو ساستہ پلان سے انهکس کو دیا کہا ہے۔ ماسلر پلان کا اسی دلی کے اندر جو حشر هے وہ بتا دیں۔ ایک تو جتنی وقف بورة كى زمينهن هين وه گرين یوز دکهلا دی گئی هیس اور میری خیال میں ملک کے هر حصه کے اندر أسكا ليلد يوز كرين هي دكهلا ديا كيا ھے اور ماسٹر پلان ھواروں کوششوں کے بارجود بھی ملطور نہیں ھوتا ھے۔ میں خود وقف بورد کا چیئرمین رها هوں جانتا هوں که آپ نے ایک پروجیکت کیائے ہزار کوششیں کیں

I63

گورنمنت کو اس بات کا لحماظ کرنا پریکا – آپکو کائید الانس دینی پریکا که جس سے کچھ استیت گورنمینت جو هیں وہ رهنمائی نه کریں یا وہ سمبل نه بن جائیں آس بات کا که نہیں صاحب ان جائدادوں کا کوئی مائی باپ نہیں لیڈا ان پر قبضه کو لو کوئی بولئے والا نہیں ہے مزار کہنے کے باوجود –

آپ کے لینڈ ریفارمس ایکٹ ھیں -لینڈ رینارمس ایکٹ کے لائو ہونے کے بعد دیہانوں کے اندر جانے تبرسال ھھن وہ سب کے سب گرام پنجایتوں كِ قبض ميں چلے كئے - ظاهر هے كه دیوانی ریکارة ریویلهو ریکارد کے اندر قهرستان نهيو داهلائه گئي هين - ليكن آپ نے وقف بائی یوزرس جب تسلیم کیا تو کوئی وجه نهین که قبوستانون کو اسی طریقه سے تسلیم نه کیا جائے -آج نتهجه يه ه که نه صرف تبضه هو رہے هيں بلکه هو يه رها هے که اس کے نتیجہ میں قسادات ہو رہے هیں - تو ان شکلوں کو بھی آپ دیکھیں - آپ نے بہت جلدی سے جس طريقه سے كوئى منتو پرھے -اس طرح سے منتر پرعوا دیا ہے -اور صحیمے بات یہ ہے کہ اس کو محديم طريقه م ايكسهلين نهين كر دیا هے اتنے سهنسیتیو اور اهم مسئله - jui 5

[شری سید احمد هاشی]

کے جو وقف کمشلر کو اختیارات دیئے
گئے هیں وہ ناکانی هیں - ایک
طرف وقف کمشلر کے آپ نے اتنے
اختیارات بڑھا دیئے هیں لیکن
ٹائٹل کے سوت کتلے پڑے هوئے هیںسری ایوکشن کے بھی آپ نے
اختیارات کمشلو کو نہیں دیئے میں کہتا هوں که جسطریقه سے
آندهرا پردیھی کے اندر هلدو جھریقیللہل
ریا مجلس انسٹی ٹیوشلس انڈاومیلٹ
ایکمٹ ہے اسکے طور پر هی آپ
انکمٹ ہے اسکے طور پر هی آپ

اسی طویقه سے آپ نے تریبهونلس كئے - برى اچمى بات ھے ليكن يو - بي - ايكت كا تجربه في كه تريبهونلس هين ليكن اكر آب اسمهن سیمت نہیں کرتے ہیں کہ اتنے وقت تک تریبیونل اینا فیصله دیدے تو لتی کیشن کی وهی شکل ایے وهانهر بانی رہے کی اور قائم رہے گی ۔ آپ اسكو نه بهوليس - اب ايك اور بات آپ سمچهین که انکروچمهات اور ناجائز قبضے کے اندر صرف پرائیویت لوگ نہیں ھیں خود گورنمات ہے ۔ آپکے دلی کے اندر ایشیاۃ کھیلوں کے اندر انہوں نے قهرستانوں ہر ارور يرج بنائے - آپ کے کوته راجستهان کے اندر قولهمينت اتهارتيز في كنستركشي كئے ظاہر ہے كه اگر انكروچمينت كو خدم كرنا هوكا تو خود اسليم

بہر حال جو میں نے بنیادی باتیں کہی ھیں۔ میں سمجیتا هوں که آنویهل منستر ضرور ان پو توجه دين کے -

श्री (मौलाना) ग्रसराख्ल (राजस्थान) : जनाव डिप्टी चैथरमैन साहब, वक्फ बिल हमारी राज्य सभा में से लोक सभा में गया, मैं मबारकबाद देना चाहता हूं वक्फ मिनिस्टर, श्री जगन्नाथ कौशल जी को, जिन्होंने इस बिल को पेश करके निहायत नर्म और मफाहमत का रवैया अख्तियार विःया । मोसफ ने बिल पेश करते हुए यह एलान किया कि वक्फ बिल में मसलिम ग्रराकीन को मृत्तफिवा तरमीम को कबूल कर लिया जायेगा । 67 दफात का यह बिल अञ्चलीन कानुन 1964 ईसवी की बनियाद पर वक्फ तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर मबनी है। इस बिल पर लोक सभा में बहुत श्रच्छी तरमीमें पेश की गई. जिनमें से मत्तिफिका तरमीमों को आनरेबल मिनिश्टर साहब ने मंजूर भी कर लिया, ग्रीर अब थह तरमी मणदा बिल फिर राज्य सभा में मंज्री के लिये आ गया है। इस तरमीमश्दा एक्ट का मक्सद महक के वक्फ जायदादों के बेहतर इंतजाम के लिये हैं । इसमें वक्फ अमिश्नरों की तकरूरी को लाजमी करार दिया गया है। यह तजबीज के वक्फ जायदादो की बाजयांकी की महततीस साल तक महदूद कर दी जाए और वक्फ बोर्ड के जरिये जमीन के हुसूल के खिलाफ अपील की महत की सिर्फ एक साल की हद मकरंर कर दी जाए, निहायत मनासिब है। यह अगर्वे मकम्मिल और जामेबिल नहीं है, लेकिन यह जरूर वहा जाएगा कि यह बिल एक तरक्की पंसंदाना और सही सिमत में एक मनासिब इकदाम है।

यह बिल इस बात को जाहिर करता है कि सरकार ईमानदारी के साथ उन तमाम जायदादों का जो खैराती या मजहबी और इसी मकसद के लिये वक्फ की गई हैं, उनका इस्तेमाल मंगाये वाकिफ के तहत होगा। सरकार का यह तारीखी कारनामा होगा और इन तमाम जिदों और दुनिया से गुजर जाने वालों की अरवाह तमानियत या सबब होगा, बरना बन्फ जायदादों का हाल तो बकौल ऐक श्रायर यह था---

"सैयाद ने बढाई है इस तरह मश्के जल्म, जब आया, मझ असीर के दो ५र कतर war i"

लोगों ने वक्फ जायदादों और अबिस-तान पर बड़ी बड़ी बिल्डिगें बना ली हैं। दिल्ली का मणहर ग्रोबराय होटल कब्रिस्तान की जमीन पर बना है, बस्ती हजरत निजामदीन में हजारों मकान, पार्क ग्रीर इमारतें वक्फ की जमीनों ग्रीर क ब्रिस्तान की जमीनों पर वने हए हैं.। यहीं नहीं, कृतुब मीनार, पुरानी दिल्ली ग्रौर नई दिल्ली, कोटा राजस्थान वगैहरा में बहुत से नाजायज कब्जे हैं। यह बिल उन खराबियों को बड़ी हद तक दूर करेगा।

कमिश्नर आई०ए० एस० अफसर होगा मैं इस पर वजीरे ग्रोकाफ को मबारकबाद देना चाहता हं। वक्फ जायदादों को किसी गैर-मजहब बालां के नाम नहीं किया जायेगा, वक्फ जायदादों के लिये भी यह एक बहुत मनासिब इकदाम है, लेकिन वक्फ जायदादों को रेंट कण्ट्रोल एक्ट के से मस्तसना नहीं किया गया, इससे करोड़ो रुपयों का हमारा नुकसान हो रहा है। फतेहपूरी की जामा मस्जिद में जो चार-चार हजार रूपये माहबार की जो

[थी (मौनाना) असरारूल हक] दुकाने हैं, वह एचास रुपये महीने पर आज भी हैं। जब दुनिया बनी थी, जब दुनिया बसी थी, जब इन्सान दुनिया में ग्राया था, तब जो किराया था, वही आज वक्फ की जायदाद वालों को मिल रहा है। इससे बहुत बड़ा नुसन्धान है। ग्रगर इससे रेंट कट्रोल एक्ट में मुस्तस ना करार दिया जाये, तो वक्फ को करोड़ो रुपये की ग्रामदनी हो जायेगी । वक्फ मिनिस्टर साहब इस लिये काबिले मबारकवाद है कि इस कानून का मुलक में बेचेनी से इंतजार विधा जा रहा था। मौसूफ , ने पुरी इनहिमाह ग्रीर कोशिश से इसको तवक्को के मताबिक जल्द कान्न बना दिया ।

## उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद रहमत श्रली) पीठासीन हुए ।]

श्राखिर मैं मैं श्रर्ज करना चाहता हं कि वक्फ मििटर साहब इस जानिब तवज्जह फरमायें कि इन्क्रोचमेंन्ट का एक दस्ता--मैंने पहले भी कहा था इनकोचमेंट का एक दस्ता वक्फ बोर्ड के मातहत बनाया जाये. ताकि नाजाइज कब्जों के सिलसिले में वह उनको बेदखल कर सके । इस तरफ कोई खास त्वज्जह नहीं दी गई । काश, इधर भी त्वज्जह दी जाये, तो बहत ज्यादा बैहतर होगा।

मैं इस तरमीमशदा बिल की दिल से ताईट करता हूं और मैं मुबारकवाद देता है।

†[شرو موانا اسرارالعق (راجستهان): جداب رائس چهدرمون صاحب -وقف بل همارے راجیہ سبہا سے اوک سهیا مهی گیا - میں مهارکهاد دینا چاهها هن - رقف ملباتر شری

جگوں ناتھ کوشل جی کو - جلہوں نے س بل کو پیش کرکے نہایت نرم اور مفاهمت کا رویه اختیار کیا -موصوف نے بل پیش کرتے ہوئے یہ اعلان یهی کها که وقف بل مین مسلم اراکهن کی متفقه ترمیم کو قهول کو لیا جائها - ۷۷ دفعات کا يه بل اواهن قانون ۱۹۹۳ عهسوي کی بلیاد یو وقف ایکت کی تحقیقاتی کمیٹی کی سفارش پر مملی ہے - اس بل پر لوک سمها مهن بهت اجه ترسيس پههن کی گلیں - جانہوں سے متنقه ترمهمون کو آنویبل ملسار صاحب نے متعاور ہے کو لیا - اور یہ ترمیم شدة بل يهر راجهه حبها مهن منظوري کیلئے آ گیا ہے - اس ترمیم شدہ ايكت كا مقصد ملك مين وقف جاٹیدادوں کے بہتر انتظام کیلئے ہے ۔ اسمین وقف کمشاروں کی تقرری کو الزمى قرار ديا كيا هے - يه تجويز که وقف جائیدادوں کی باریابی کی مدت تیس سال تک محدود کر دیجائے اور وقف ہورڈ کے ذریعہ زمین کے حصول کے خلاف اپیل کی مدت کی صوف ایک سال کی حد مقرر کر دینجائے - نہایت مناسب ھے -

ية اكرچة مكمل أور جامعة بل نهوں ہے لیکن یہ ضرور کیا جاٹھکا که یه بل ایک ترقی پسلدانه اور صحورم سبت مين أيك مناسب

کو ریفت کفترول ایکت سے مستثنی نہیں کھا گیا - اس سے کروروں روپیوں کا همارا نقصان هو رها ہے - فتحبوری کی جامع مسجد میں جو چار چار عوار روپیء ماهوار کی دوکانیں هیں وہ پھیاس روپیء مهواد کی دوکانیں هیں دنیا بسی تعی جب انسان دنیا دنیا بسی تعی جب انسان دنیا وهی آج وقف کی جائداد والوں کو مل رها ہے - اس سے بہت بڑا مل رها ہے - اس سے بہت بڑا مل رها ہے - اگر اس ریفت کفترول میں مستثنی قرار دیدیا جائے ایکت میں مستثنی قرار دیدیا جائے تو وقف کی کروروں روپیء کی آمدنی ہو جائے کی آمدنی

وقف منسقر صاحب اس لئم بهی قابل مهارکباد هیں که اس قانون کا ملک میں بهجیلی سے انتظار کیا جا رہا تھا - موصوف نے پورے انہماک اور کوشش سے اس کو توقع کے مطابق جلد قانون بنا دیا -

[اپ سبها ادهیکهی (شری سید رحست علی) پیتهاسیس هوئے]

آخر میں میں عرض کرنا جاھتا ھوں کہ وقف ملسٹر صاحب اس جانب توجہ فرمائیں کہ انکروچمیلت کا ایک دستہ...میں نے پہلے بھی کہا تھا انکروچمیلت کا ایک دستہ وقف بورہ کے ماتحت بنایا جائے تاکہ ناجائز قبضوں کے سلسلے میں وہ اس کو بے دخل کر سکیں اس طرف کوئی

اقدام هے - یہ بل اس باست کو ظاہر کرتا ہے کہ سرکار ایمانداری کیسائی ان تمام جائیدان اور املاک کو جو خیرانی یا مذہبی اور اسی مقصد کیلئے وقف کیگئی ہیں انک استعمال ملشاء وقف کے تحت ہوگا - سرکار کا یہ تاریخی کارنامہ ہوگا اور ان تمام زندوں اور دنیا سے گزر جانے والوں کی ارواح طمانیت کا سبب ہوگا ورنہ وقف جائیدادوں کا حال تو بتول شاعر جہائے۔

صیاد نے بوہائی ہے اسطوح مفق طلم جب آیا مجھ اسیو کے دو پو کٹو گھا -

لوگوں نے وقف جائیدوں اور قبرستانوں پر بتی بری بلڈنکس بنالی ھیں - دلی کا مشہور اوبرائے ھوٹل قہرستانوں کی زمین پر بنا ھے - بستی حضرت نظام الدین میں ھزاروں مکان پارک اور عمارتھی وقف کی زمینوں اور قبرستان کی زمینوں پر بنے ھوئے ھیں - یہی نہیں قطب پر بنے ھوئے ھیں - یہی نہیں قطب کوٹے راجستہان وفیرہ میں بہت سے کوٹے راجستہان وفیرہ میں بہت سے ناہائز قبضے ھیں - یہ بل ان خرابیوں کو بچی حد تک دور کرے گا -

کمشلر آئی - اے - ایس - افسر هوا - میں اس پر وزیر اوقاف کو ممارکباد دیفا چاھتا ھوں - وقف جائدادوں کو کسی غیر مذھب والوں کے نام نہیں کیا جائیا - وقف جائدادوں کے لئے بھی یہ ایک بہت ماسب اقدام ہے - لیکن وقف جائدادوں

خاص توجه نهیں دی گئی۔ کاش ادھر بھی توجه دی جائے تو بہت زیادہ بهتر ھوگا۔

## میں اِس ترمیم شدہ بل کی دل سے تائید کرتا ہوں - اور میں مہارکیاد دیتا ہوں -]

SHRI RAOOF VALIULLAH (Gujarat); Sir, at the very outset, I congratulate the Law Minister for bringing the amendments made by the Lok Sabha to the Wakf (Amendment) Bill, 1984.

Sir, actually I had lost all hopes wondering whether the Bill, amended, would come up before this House for discussion. Today being the day, if this Bill would not have come, I do not know what would have happened. Sir, during the last 14 years, the Muslims of this country are discussing the problem of wakf properties since the Wakf Inquiry Committee was constituted in the year 1970. Their interim Report was presented in November, 1973 and the final Report was presented in April, 1976. This Report has been examined by the Central Wakf Council, by the Minorities Commission, by the Wakf Boards of the various States and by other organisations and individuals. But there was a lot of difference of opinion among the Muslim Members of Parliament and the recommendations of the Inquiry Committee have not been accepted in toto. Therefore, the Government probably accepted two or three amendments made by the honourable Member. Shri Gulsher Ahmed, in the other House. Sir, I am thankful to the honourable Prime Shrimati Indira Gandhi. Minister. who took interest in the Wakf Bill and saw to it that unanimity prevailed among the Members of Parliaamong the Muslim ment, notably Members of Parliament. Sr, other than the amendments accepted by the Government, ther<sub>6</sub> ar<sub>e</sub> a few other recommendations of the Committee which

have not been accepted by the Government, namely, the abolition of the Wakf Council. About this issue all the committees and individuals who have been consulted hav«J unanimously said that this council should be abolished. Another recommendation of the wakf enquiry committee was mat if any Mutawalli in the past has committed any offence or mis-'appropriation or" embezzlement he could be punished. This recommendation has also not been accepted by the Government.

Sir the third recommendation salaries being paid from the consolidated funds of the States has also not been accepted hy Government saying that the State Legislatures can pass necessary legislation to this effect. In this context. I would request the Law Minister to advice the State Governments to enact such legislations. Sir another important recommendation of the enquiry mittee whicli has not been accepted by the Government, is that if the property is a wakf property, it acquired under should not b<sub>e</sub> Land Acquisition Act, and if any property is acquired then it should be taken as void. Sir, I understand this forms a part of Land Acquisition Act which has just been passed by this august House. Another important thing is that there is no provision that on all-India level wakf property will be exempted from the purview of the Rent Control Act. Sir on the other hand, the recommendation of the committee to appoint the Commissioner of Wakf as Chairman of state wakf board has not been accepted by the Government, and rightly so. Sir, I welcome this decision because the Commissioner is only a Government servant and the Bill has rightly made him the membersecretary of the Board. Sir, the amendment that has been accepted by the Government related to limitation under the Limitation Act. If anybody is in adverse possession of property claiming himself to be the owner of the property for more than 12 years he becomes owner of that property. The right of the real owner is extinguished and a new right is created. Sir, the Wakf Act was passed in 1950 and most of the States have still not identified the wakf

property. In some States like Gujarat the

I73

Act was -never applied. Therefore, it is, a welcome decision on the part °f the Government that the period of limitation for recovery of Wakf properties has been extended to be 30 years. Sir, I would have welcomed it more if it was similar to the

one in the State of West Bengal, Sir, section 72(2) of the Bengal Act which provides that a suit for the recovery of any property wrongfully possessed alienated or leased shall not deem to have become barred by limitation if such suit v/as not so barred before the 15th day of August, 1947

Sir, I am grateful to the Government to have accepted the amendment with regard to special provision as to evacuee wakf properties and I am sure this will go a long way In solving the problems of wakf properties which are in the possession of the custodians. Sir, there was persistant demand al] these years that a new wakf Act which will reflect the aspirations of the Muslim community and which will lead to development and improvement of the wakf property has at last been fulfilled by the present amended wakf bill, 1984. Sir, the protection of the wakf properties and better untilisation of them for the welfare and progress of the community and democratisation of the wakf administration will be most welcome by the Muslim population of this country.

Sir, with these observations, I welcome and support the amendments to the Wakf Bill, 1984.

JP.M.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (विहार):
माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय. मैं मंती
जी को इस बात के लिए जरूर धन्यवाद
दूंगा कि उन्होंने इस विधेयक को लाकर जो
इस तरह की सामाजिक धार्मिक संपत्ति है,
जिसका सद्-उपयोग जनसाधारण या
उस वगं के लोगों को मुधारने, जिलित
करने के काम में ग्राए, उसके लिए
जो उपयोग हो, वह सचमुच में साधुवाद
की बात है। लेकिन एक सवाल जो मैं
यहां पर उपस्थित करना चाहता हूं, वह है
परिषद् की, वक्क परिषद की स्वायतता

की बात । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहंगा कि बोर्ड को ग्राप स्वायत. बाटोनोमस टाइप का मानते हैं या एक फार्मल सिर्फ एक बोडी के रूप में स्वीकार करके उसके भीतर तरजीह लगा दें, बोर्ड नाम की चीज ऊपर से तो रहे, लेकिन काम करने में नहीं रहे । मैं इसकी धारा 21 (बी) की खोर खापका ध्यान दिलाना चाहुंगा कि जो ग्रापने कमीशनर को पावर दी हैं, पावर होनी चाहिए, खासकर फाइनेंसियल पावर होनी चाहिये । लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि बोर्ड ग्रौर बोर्ड का चेयरमैन ही उससे शुन्य के बराबर हो जाए। फिर ग्राखिर बोर्ड, हर किसी परिषद के चेयरमैन की सेंगसिटी है, हर किसी निदेशक मंडल के उस मंडल की सेंगसिटी है, उसको भाटो-नोमस है, उसको स्वायतता है। उस स्वायतता पर प्रगर ग्रापने परा प्रहार कर दिया या अविस्वास प्रकट कर दिया तो ग्रापको साफ कहना पड़ेगा कि वक्फ नाम की जो संस्था है, वह बेकार है, उससे कोई काम नहीं हो रहा है। अगर ग्राप यह नहीं कहते हैं, ग्रगर कहते हैं कि जो वक्फ एक समुदाय बना हुन्ना है, उसकी संपत्ति की सुरक्षा करके उस समुदाय का लाभ करता है, तो उसकी स्वायतता के लिए ग्रापको बात करनी कमीशनर पड़गी। इसलिए जो जैसे पावर दिया has not been passed in accordance with the law. सुपरसीड कर जाएगा।

Is in excess or is in abuse of powers conferred on the Board by or under this Act.

## [उपसमापति महोदय पीठासीन हुए ।]

इस तरह से इसमें जो आपने पावर दी है ऐसा लगता है कि यह सुप्रीम पावर हो गई है। इतना ही नहीं, अगर [जगदम्बी प्रसाद यादव] इस एक्ट में भी जाएं, तो फिर सेक्जन 36(सी) देखें —

"36c. Notwithstanding anything contained in a wakf deed, no immovable property shall be purchased for or on behalf of any wakf from the funds of any wakf except with the prior sanction of the Wakf Commissioner..."

ध्रव बोर्ड में भी अपने सेकेटरी से, अपने कर्मचारी से परमीणन लेना पड़े। तो मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज दा मीनिंग आफ बोर्ड ? व्हाट इज वा मीनिंग आफ बक्फ ? कोई बक्फ का अर्थ नही रहता । इसलिए यह आज साफ होना चाहिए । एक कुणल कानून मंत्री से, जो इसके अधिक जाता हैं कि आखिर इस समाज में इसका क्या अभित्राय है। उसी तरह से सेक्शन 47 में भी आप देखें—

"47A. (1) Notwithstanding anything contained in a deed of wakf, no mutawalli, Executive Officer or other person in charge of the administration of a wakf shall lend any money belonging to the wakf or any Wakf property or borrow any money for the purposes of the wakf except with the previous sanction of the Wakf Commissioner."

इसके मायने कि इसको वक्फ बोर्ड न कहकर बक्फ कमीशनर एवट कहा जाए, बक्फ कमीशनर की पावर का एक्ट कहा जाए । इसका तो अर्थ यही निकलता है भौर कुछ नहीं निकलता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसका ऐसा कुछ क्लेरीफिकेशन अपने कानूनविद् की बुद्धिमता से दे ताकि यह अर्थ नहीं निकले।

दूसरी बात जो मैं श्रप्तने माननीय सदस्यों के समर्थन में कहना चाहता हूं कि वक्फ की प्रोपर्टी जो रेण्टेड बना हुआ है, वह जिस जमाने से बना हुआ है, अगर उसका 200 रुपए किराया है, तो 2 रुपये ही चल रहा है। आखिर वह मकान लगाया गया था इसलिए कि उस प्रोपर्टी से बक्फ की आमदनों होगी और उससे उसकी भलाई होगी। खैर आप एम्जेम्पट न करें आप रिवाईज करने की व्यवस्था करें। क्योंकि जब आप इसकी व्यवस्था करें। क्योंकि जब आप इसकी व्यवस्था होले ही, तो उसकी व्यवस्था टालने की जिम्मेदारी भी आपकी आती है .... (समय की घंटी)

तीसरी बात एंकोचमेंट की आती है। एंकोचमेंट गवर्नमेंट द्वारा भी और पब्लिक द्वारा भी होता है। तो एंकोचमेंट में भी किस तरह से सुधार हो यह मांग हमारे हाऊस के सभी सदस्यों की है। इस पर भी विचार होता चाहिए।

मैं पुनः श्रापका बन्यवाद जायन करते हुए वक्फ कमीणनर की परिभाषा सुधारने के लिए आपसे श्राग्रह कहांगा।

श्री मीर्जा इर्शादबेग एयुबबेग (गुजरात): जनाव डिएटी चेयरमैन, मैं इस बहस के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के करोड़ों मुसलमान की बाबत जब यह चीज यहां डिस्क्स हो रही है मैं अपने अपोर्जाशन के मेम्बरान की तरफ देखता हूं, बाहर तो ये बड़े जोर-शोर से मुसलमानों के मसलों के बारे में तकरीर करते हैं, लेकिन आप यहां सिर्फ पांच फर्ह मौजूद है जिन में एक मुसलमान है। साफ है कि उनको मुसलमानों के प्रावलम्स में कितनी दिलचस्पी है।

पिछले चौदह सालों से मुल्क के मुसलमान झौकाफ प्रापर्टी के बारे में सोच रहे थे झौर वार्ते कर रहे थे। सैयद श्रहमद साहब की सदारत में 1970 में क्कफ इन्क्यायरी कमेटी बनी । 197

में उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद सेन्ट्रल दक्फ काउंसिल, माइनारिटी कमीशन और दीगर अफराद ने उस पर निगाहे सानी किया । मेरे एतमाद से ज्यादातर रिकमेंडेशन्स को मान लिया गया है । इस एवाने-बाला के मेम्बरान ने इस बिल की असल सुरत के कुछ पहलुओं पर अपनी नापसन्दीदा निगाह करने पर नजरेसाने कर के जो तरमीम श्रव लायी गयी है इस से ज्यादातर शको-शुबह की बुनियादों को दूर करके मुतमईन हो सकते हैं।

कोई भी कानून हर दक्त हर एक फर्द को मृतमईन नहीं कर सकता है। हर एक ख्यालात समझदारी की नौवईयत भीर मुशायरे का रझान बक्त के पहलू में मस्तलिफ हो सकते हैं। मगर हक्मत को चाहिए कि कारेश्रमल श्रक्सरियत की इत्मीनान की बाइस हो ग्रौर नफी का माहा अक्लियत हो । वजीरेग्राला से मैं दरयापतः करूमा कि आपके तरमीमश्दा बिल से हर मुरालमान को शायद आप द्धकः न वस्य सर्वेगे । चुकि मुसलमानी कोई भी की लाइला-लिस्लाह तक इक्तिलाफ राय नहीं है । मग़र मोहम्मद रसूल-इल्लाह की बताई हुई गरीयत में उलमाक्यों ने अपने अपने ढंग से तरजुमानी की है और इसी वजह से दीन से वादास्ता हर मसले पर ग्रकींदे की विना पर भी इक्तिलाफ राय हो सकती है ग्रोर ग्रीकाफ भी दीन-गरीयत का एक हिस्सा है। बहरहाल मुसलमानों की सामाजी, इक्तिसादी और इल्मी जिंदगी को और बारास्ता करने की सिम्त में ब्रौकाफ की सही इन्तजामी ग्रीर दयानतदारी मुसलमानों के बसी हक में साबित होगी।

ग्राला हजरत, मैं मुबारकवादी दूंगा कि बर्नी कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने 123 प्रापर्टी बक्क बोर्ड को वापस दिलवाई हैं, मगर मोजूदा हालात धौर भी कई...

भी सैपद महमद हाशमी: आपकी इतिला सही नहीं है । अभी मोनरिशप वक्फ बोर्ड की नहीं है (ब्यवधान) जो वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी है वह उसे मिलनी चाहिए।

श्री मीर्जा इशांदवेग ऐयुववेग : जो पैसा श्रायेगा उस से वह वक्फ को मिलेगा। (श्रायकाम) मैं कह रहा था। कि श्रीर भी कई श्रीकाफ की, जागीरें गैरकानूनी तौर पर गलत लोगों के श्रीकायर में हैं जिसे सरकार को वापिस लेकर मुतविल्लयों के सिपुर्द करवाना है। तरमीमी कानून के मुताबिक जिन जायदादों पर गलत लोगों का कब्जा है उन से जायदाद वापस लेने पर झगड़ा-फसाद श्रीर नाश्रमनी का भी श्रीदेशा बेजा नहीं है। इस लिहाज से कानून का श्रावीजन वक्फ बोर्ड के नाहक में न जाये यह देखना निहायत जरूरी बन जायेगा क्योंकि कोर्ट के फैसलों के वाद भी कब्जा लेना दुश्वार हो जाता है।

मंदिर, मस्जिद, गिराजाघर, गुरुद्वारे या शमशान, कब्रिस्तान वर्गरह को लैंड एक्बीज़ीशन ऐक्ट के मातहत हैं उस में रिहाई देना जरूरी है। ग्रीर मैं इस बात की इल्मियत पर कि रेंट कन्ट्रोल एक्ट स्टेंट गवर्नमेंट के मातहत होने के बावजद सेन्ट्रल गवर्नमेंट कानून के जरिये या हिदायतों के जरिये ग्रौकाफ का रेन्ट कन्द्रोल एक्ट से रिहाई दिलवाये, वरना ग्रौकाफ एक्ट का नस्बुलऐन सही ढंग से कारगर न हो सकेगा । सेक्शन 21 (डी) पर मैं अपनी जात को मृतमईन नहीं कर सकता हूं। मैं मानता हूं कि कमिश्नर के ग्रस्तियारात को चेलेंज किया जा सकता है ग्रौर सरकार को यह एकाउन्टेबिल भी है, मगर फिर भी कमिश्नर के वसीह अख्तियारात नुकसानदे श्रीर नापसंदीदा है।। 179'

کے کچے پہلرؤں پر اپنی نا پسندیدہ نگاہ کرنے پر نظر ثانی کرکے جو ترسیم اب لائی گئی ہے اس سے زیبادہ تر شک و شبه کی بنیادوں کو دور كوك مطمئين هو سكتے هيں -

(Amdt.) Bill, im

کوئی بهی قانون هر وقت هر ایک فود کو مطمئن نہیں کر سکتا ہے -هر ایک کے خیالات سمجهداوی کی نوعیت اور معاشوے کا رجهان وقت کے پہاو میں مختلف ہو سکتے ہیں -مگر حکومت کو چاهئے که کار عمل اکثیریت کے اطمینان کے باعث سو -اور ندى كا مادة الليت هر - وزير اعلى سے میں دریافت کرونکا که آپ کے ترمهم شده بل .. هو مسلمان كو شاید آپ خوش نه کر سکیلگے کیونکه مسلمانوں کا "لا اله ال الله" کا دولی الختاف والله نهون هـ "- مكر معتمد رسول الله كي بتائي هوئي شریعت میں علماؤں نے اید اید تھنگ سے ترجمانی کی فے اور اسی وجه سے دین سے وابسته هر مسئله پر عقیده کی بنا پر هی اختلاف وائے هو سکتی هے - اور ارتباف بهی دین شریعت کا ایک حصه هے -بهرهان مسلمانون کی ساماجی -اقتصادی اور عملی زندگی تو اور آراسته کونے کی سبت میں اوقاف کی صحیح انتظامي اور دیانتداری مسلمانوں کے وسیع حق میں ثابت ہوگی -

(کجرات): جناب دَیتی چینرمهن -مهی اس بحث کے ہارے میں کچه بات کرنا چاهتا هرن - مهن یه کہنا چاهونکا که هندوستان کے کروژوں مسلمانوں کی بات - جب یہ چیز تسکس هو رهی هے مهن ایے اپوزیشن کے ممبران کی طرف دیکهتا هوں باهر تو یه بڑے زور شور سے مسلمانوں کے مسلمانوں کے بیارے میں نقریر کرتے هیں لهکی آم یہاں صرف پایچ فرد موجود هیں -جندين ايك مسلمان هين صاف في کہ انکو مسلمانوں کے پرابلس میں کتنی دلجسپی هے -

پھیلے ۱۳ سالوں سے ملک کے مسلمان اوتاف پراپرٹی کے بارے میں سوج رہے تھے اور باتھی کر رہے تھے۔ سید احمد صاحب کی مدارت میں ١٩٧٠ مين وقف الكوائري كمهاي ہلی ۱۹۷۹ میں اسلے اپلی رپورٹ دى اور اكم بعد سينتول وقف كونسل مالنارتى كمهش اور ديگر افراد نے اس پر- نکاء ثانی ایا -میرے اعتماد سے زیادہ تر رکملدیشن کو سان لیا گھا ہے اس ایوان بالا کے مميران نے اس يل كو اصل صورت

<sup>†[ ]</sup> Transliteration in Arabic script.

ملدر - مُسجد - کرچا گهر -گورو دراره - یا شدهان - قبرستان وفهرة كو لهذة اكوزيش ايكت ك ماتحت هين اس مين رائلتي دينا فروری هے اور میں اس یات کی علىهت ير كه ريات كلترول ايكت استهت گورنمنگ کے ماتحت ہونے کے ہارجود سیلٹارل گورنمنٹ قانون کے فریعت یا هدایتوں کے فریعت اوتاف کو رینٹ کلترول ایکٹ سے رائلتی دلوایئے ورند أوقاف أيكت كا نصب العين صحیم قطنگ سے کارگر نے ہو سکیکا۔ سیکشن ۲۱ (ہو) پر میں اپنی *ذا*ت کو مطبئی تہیں کو سکتا ہوں - میں مائتا هوں که کیشلر کے اختیارات کو چیلئم کیا جا سکتا ہے اور سرکار کو په اکاؤنگيبل بهي هے سکو پهر بهي کیشفر کے وسیع اختہارات تقصان دی اور نا پسلدیده هیں -

جناب تیتی چیئرمین صاحب ویسے تو عزیز رزیر کوشل صاحب کو
انکے پرخلوص ذهنی نظریه پر
مهارکبان دیتا هوں - مگر سرکار سے
میں یه بھی کہنا چاهونکا که سرکار
ملک کے اوقاف کا سروے کروائی اور
جو تبرستان تا قیامت صرف تبرستان
هی رہ سکتا ہے اور جو سرکاری
ملکیت میں درج ہے انہیں یستی
ملکیت میں درج ہے انہیں یستی
مرنب کو انکے سدھار کئے جائیں آرکیولوجی قیهارتیامت کے تحت

اعلی حضرت میں میارکہات دونکا کہ برنی کمیٹی کی رپورٹ پر سرکار نے ۱۲۳ پروپرٹی وقف بورڈ کو واپس داوائی ھیں - مگر موجودہ حالت میں اور بھی کئی .....

شری سید احمد هاشی : آپکی اطلاع صحیح نہیں هے - ابھی اونر شپ وتف بررة کی نہیں هے وقف .... جو وقف بررة کی پراپرتی هے ولا اس مللی چاهائے -

# شى مرزا ارشاد بيك ايوب بهك:

جو پیسہ آئیکا - اس سے وہ وقف کو ملیکا . . . (مداخلت) . . . . میں کہرما تبا کہ اور بھی کئی ارتاف کی جاکیریں غیر قانونی طور پر فلط نوگوں کے اختدیار مھی ھیں -جسے سرکار کو واپس لیکر متولیوں کے سیرہ کروانا ہے ۔ ترمهمی الاتوں کے مطابق جن جائدادوں پر فلط لوگوں کا قبضہ ہے۔ ان سے جائداد وأيس لينے پر جهكڙة فساد أور تا املی کا اندیشه بینجا نهیں 🙇 -أس لحماظ سے تانوں کا پروویزں وقف بررة کے ناحق میں نه جائے ۔ یه دیکهفا نهایت فروری بن جائے کا ۔ کیونکہ کورٹ کے فیصلوں کے بعد بھی تيضم لينا دشوار هو جاتا هـ -

[شری مرزا ارشاد بیک ایوب بیک] هادوستان کی برنبو نتاهی کے نبونے جو عالم مهن مشهور ههن ايسي مساجد متبرے وغهرہ کو نمازوں کیاگے اجازت دینی جاهئے اور ایسی عمارتون كا صحوم ميلتهندس ارقاف ہورت سے ہونا جاہئے۔ بورت نے نمائلدگے کے مسئلہ ہر کانی غور و فکر کرکے دیانتدار شریف اور نوجوان لوگوں كو إشامل كرين جسمهن منصهم دھلک سے کام کرنے کا سادہ ہو۔ فعليت هو اور جسے خوف خدا - 34 .41

اقلهتوں سے وابسته ایک اعم مسئله يو غور كركر الم كسي حد تک علمی جامه بهلانے کی سب مهو ليا گها يه قدم وزير أعظم اندرا کالدھی اور کانگریس پارٹی کے اقلیثی فرقه کی بهبودی اور هندردی کی ایک مثال ہے -

انہیں الفاظ کے ساتھ اس ترسیمی یل کی تاثید کرتے ہوئے ڈیٹی چيئرميني صاحب - آيكا شكرية ادا كرتا هون -

श्री शमीम ग्रहमद सिद्दीकी (दिल्ली): जनाव डिप्टो चेयरमैन साहब. मैं सबसे पहले तो वजीरे ग्राजम श्रीमती इंदिरा गांधी को मबारकबाद पेश करना चाहता हुं कि दिन्स्तान के मुख्तलिफ मुसलिम ग्रवाम की जो पुरानी मांग थी कि वक्फ बोर्ड के अन्दर तरमीम की जाए. उन्होंने

जो क्षाउस में अमेडमेंट को लाकर हजारों ग्रक्लियतों के उन नुमाइंदों की बात को माना ग्रीर जो यहां पर तरमीम का बिल ध्राया,मै उसका स्वागत करता हं।

जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, वक्फ ऐक्ट में जो तरमीम लोक सभा में पेश की गई ग्रीर लोक सभा से यह बिल पास होकर दोबारा यहां ग्राया है. मैं समझवा हं कि ये जो तरमीम है वे श्रीकात की जायदादों को सम्बारने की एक तजबीज है।

दसरी बात मैं यह कहना चाहता हं ग्रीर इस मौके का फायदा उठाकर मिनिस्टर साहब से दरस्वात करना चाहता हूं कि वह इस तरफ खास तीर पर तवज्जह दें कि बहुत सी ऐसी जायदादें हैं जिनको वक्फ बामीशन बनाती है, जो उनको फीस की सुरत में रकम मिलती है वह बोर्ड को नहीं मिलतीं । मिसाल के तौर पर दिल्ली हमदर्द दवाखाने का मैं नाम लेता हं जिस्होंने बक्फ के कानन के बनने के बाद आज तक दिल्ली को एक पैसा नहीं दिया । ग्रगर उसकी फीसों को शामिल किया जाए तो वह लाखों रुपये की बनती है ग्रगर उस रकम को वसल किया जाए तो जो प्रापटीं दिल्ली वक्फ बोर्ड में है उसके डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है ग्रीर बहुत सी स्कीमें जो दिल्ली बक्फ में नहीं हो पा रहीं हैं उनको पूरा किया जा सकता है। जो मरकजी वक्फ काउंसिल है या दिल्ली वक्फ बोडै है या हिन्द्स्तान के किसी बोर्ड का सवाल हो वहां ऐसे ग्रफसरान नामजद न किए जायें जो श्रामदनी बजाहत हों । ऐसे बहत से लोग मरकजी काउंसिल के अन्दर मौजद हैं जो वक्फ की ग्रामदनी जो वक्फ बोर्डों के ग्रन्दर जमा करानी चाहिए, नहीं कराते । ऐसे प्रकसरान वक्फ की देखभाल नहीं कर सकते।

दूसरी बात यह है कि यहां पर
मुश्र जिज मेम्बरान ने कहा है कि वक्फ
प्रापर्टी की रैंट कंट्रोल ऐक्ट का करार
दिया जाए । मैं उसकी पुरजो ताईद करता
हूं और मैं समझता हूं कि यह ऐक्ट तरमीम
करके वक्फ बोर्ड को खत्म बारके उसमें
लाया जाए तो काफी फायदा वक्फ
बोर्डों को करा सकते हैं।

श्राखिर में, मैं एक बार फिर वजीरे श्राजम श्रीमती इंदिरा गांधी को मुवारक-बाद देता हूं कि जो वायदा उन्होंने श्रवाम को दिया था उसे कानून की शक्ल देकर हजारों उन लोगों को उन्होंने वायदा पूरा किया है जिसके लिए उन्होंने यहां पर कहा था।

SHRI HUSEN DALWAI (Maharashtra); Sir, I compliment the Minister of law for bringing this Bill before this august House. We had enough discussion last time and my name was also there for this discussion but it was cut of because you were in a hurry. This time, I hope you would allow me some time.

Sir, the most important feature of this Bill is th'at properties worth crores of rupees are vested in the Custodian of Evacuee Property for administration under the Evacuee Property Act. Under this Act, the provision is that once the property is vested in the custodian, no court of law or any provisions of any other law will be in a portion to divest the property from the custodian. Under the provisions of this Bi!', all those properties which are vested in the Custodian will be brought within the purview of this Act and the Wakf. Board which is to be formed, will control all the Wakf properties. The whole idea behind this legislation is to have better administration supervision

Wakf properties. We have seen thai huge Wakf properties are being managed by some trusts and the state Wakf Boards; there are many cases of embezzlement and misappropriation and therefore, with a view to eradicate this problem, and to meet the long felt need this Bill has been brought by our Law Minister.

The other important feature of the Bill which I would like to comment upon and for which I would congratulate the Law Minister is that many wakf properties are in adverse possession oi., third parties by virtue of Law of adverse possession. By giving limitation period of 30 years the Law Minister has given us an opportunity to bring back all these Wakf properties under the control of Wakf Board which were wrongly taken over by persons who are in adverse possession of the same. All the suggestions which were made by the Wakf Inquiry Committee were not accepted by the Government. And in respect of certain suggestions there is justification for the same. Many members were saying that the Land Acquisition Act should not be made to Wakf properties and that the Wakf properties should be exempted from the purview of Land Acquisition Act. I am told that our Prime Minister has issued instructions to all States that properties of all religious trusts, whether mosque, or temple, at the time of acquisition, should as far as possible be excluded from acquisition. That is a broader view which has been taken by the Government of Indi'a and thus wakf properties will get the benefit of the same from acquisition.

The other important suggestion made by the Inquiry Committe was to bring all the properties under the control of the Wakf Board and the Central Wakf Board appointed by the Government should be abolished: but that has not been accepted by the Government. There is a reason behind it because if this Central Wakf Board is there, and as it is an autonomous body, we have seen in some States that there is a lot of embezzlement and property is not properly managed. So,

[Shri Husen Dalwai]

Government control has to be there &nd hence I feel we should accept that suggestion with a view to have better supervision of wakf properties under Government Control. The whole purpose behind this legislation is that charities of Muslims should be better utilised for the upliftment of Muslims who are backward and who need support for education and social reforms.

With these wo/ .s, I support the Bill.

श्री गुलाम रसूल कार (नाम-निर्देशित) : डिप्टी चेयरमैन साहब, वक्फ बिल जो पहले भी राज्य सभा में जेरे बहस ग्राया था, जल्दी में उस वक्त राज्य सभा के मेम्बरों की ख्वाशिक्षात के मताबिक इसमें तरमीम नहीं हो सकी और जिस सुरत में भी यह बिल ला-मिनिस्टर साहव ने पेक किया था उसमें लोक सभा में कुछ हा सीम दी गई और उन तरमीमों को जिस हद तक गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा हालत के मुताबिक कानून के मुताबिक ग्रीर बक्त के मताबिक उन्होंने तरमीम को एक्ससेप्ट किया । लोक सभा के पास करने के बाद श्राज राज्य सभा में जेरे बहस श्रा गया। हमें उस कमेटी का भी श्कियाश्रदा करना चाहिये जो 1970 में वजूद में ग्राई थो स्रौर जिन्होंने काफी मेहनत के बाद एक निपोर्ट गवर्नमेंट को दी ग्रौर गवर्नमेंट ने तफसोली तीर पर उस कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया, कहने की ती ही सकता है कि कमेटी की रिपोर्ट को क्यों नहीं एकसप्ट किया गया, लेकिन आज ही का मसला ले लिया जाए, हाणमी साहब ने बहुत सारी बातों पर एतराज किया। हाशमी साहब इस हाउस के मेम्बर हैं। एक एक्ट में तरमीम लाने के तीर-तरीके होते हैं, रूल होते हैं। ग्रगर उनकी ख्वाहिणात के म्ताबिक किसी चीज की कमी रह गई एवट में तो वह एक तरमीम की सुरत में लग्नसंते थे बनाय तकरीर

करने के । इस पर तकरीर करना मना-सिव नहीं था । मैं छाज कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिये मुबारकवाद देता हूं कि उन्होंने गुजिशता इलेक्शन मैनीफेरटा में इस बीत का इकरार किया था कि इले-कणन के बाद हम मल्क के सामने एक बहुत बड़े माइनोरिटी के मसले की एक कानन की शक्ल में हाउस में लाकर पेण करेंगे इस बिल के लिए मैं कांग्रेस पार्टी को ग्रौर उसके लीडर श्रीमती इन्दिरा गांघी ग्रौर ला मिनिस्टर को मुबारकबाद देना चाहता हं। उन्होंने मुल्क की एक बहुत वड़ी माइनोरिटी का मसला ग्राज हल कर दिया है । यह महज मसला हल करने की बात नहीं है, मुसलमानों का हर तबका, मुसलमानों में तबके हैं, मुखतलिफ इककादात के लोग हैं, हर तबके के ख्यालात को नजर में रखकर सब को खुश करना कोई ग्रासान काम नहीं है । लेकिन इस हाउस में भ्रौर लोक सभा में सभी मुसलमान मेम्बरों को एतराम में लेकर यह विल रखा गया है। यह एक तारीखी हाम है । इसमें खूबियां भी हो सकती हैं ग्रार खामियां भी हो सकती हैं। लेकिन ग्रान दी होल इस एक्ट को देखा जाय तो यह मालूम पड़ेगा कि यह एक बहुत बड़ा कारनामा है। जो लोग यहां पर माइनोरिटीज की बार-बार चर्चा बरते हैं, जाहिर है कि उनको मुसलमानों के जज्बात का एतराम करना चाहिए। उनको चाहिए था कि इस एक्ट के पास होते बक्त इस हाउस में हाजिर रहते भौर इस एक्ट की हिमायत करते । मैं तमाम अपोजीशन के मेम्बरों हा मशक्र हं जिन्होंने खुद यहां एहकर इसकी ताईद की है । लेकिन उन मेम्बरों को कहना चाहता हूं कि जिनका म्सलमानों के जज्जात के साथ कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वे मुसलमानों के

The Wakf

जज्बात को उभारने की कोशिश करते हैं और सियासी तौर पर मामलों को यहां पर पेश करते हैं, वे इस वक्त खुद यहाँ पर हाजिर नही रहे वे मसलमानों के हमदद नहीं हैं । माइनो-रिटीज के हमदर्द तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और मल्क की नेता श्रोमता इन्दिरा गांधी हैं । इसलिए मैं इस बिल की प्रजोर हिमायत करता हं । मैं यह भी कहना चाहता हं कि यह बिल मसलमानों के जज्बात को जेरेनजर रखकर पेण किया गया है। मैं समझता हं कि यह एक तारीखी काम हम्रा है। मसलमानों की लाखों करोड़ों रूपयों की जायदाद का सिलसिला कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। बोर्ड में एक कमिश्नर होगा । अगर बोर्ड को मुसलमान सही तौर पर नहीं चला सके तो इसका कसूर हमारा होगा, हुकुमत का नहीं होगा । कमिश्नर कौन होता है ? कमिश्नर एक ग्राई० ए० एस० अफसर होगा । गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि वह मुसलमान हो । इससे मैं समझता हं कि बोर्ड का काम ग्रच्छी तरह से चलेगा । बोर्ड को चलाने की जिम्मेवारी मुसलमानों की होगी। म सलमानों को ग्रपनी जिम्मेवारी को कबुल करना चाहिए । मैं इस बिल की फिर प्रजोर ताईद करता हं और ला मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी और अपने लीडर श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को मबारकवाद देना चाहता हं।

# †[شرى غلام رسول كار (نامود) :

قیتی چیدرسین صاحب - وقف بل جو پہلے بھی راجید سبھا میں زیر بحث آیا تھا جلدی میں اسوقت راجید سبھا کے ممبروں کی خواهشات کے مطابق اسمیں ترمیم نہیں ھو سکی اور جس صورت میں بھی یہ بل لا مقستر صاحب نے پیش کیا

الها اسميان لوك سبها مين كوه توسهم دی گئی - اور ان ترمینوں کو جس حد تک گورنبلت نے ملاسب سعجها حالات کے مطابق قانوں کے مطابق اور وقت کے مطابق انہوں نے ترمیم کو ایکسیپے کیا - لوک سبها کے پاس کرنے کے بعد آج راجعہ سبہا ميں زير بحث أ كيا - هنهن اس كميتى كا شكوية بهى إدا كونا جاهير جو ۱۹۷۰ میں وجود میں آئی تھی اور انہوں نے کافی متعدت کے بعد ایک رپورٹ گورنبلت کو دی ۔ اور گورثملت نے تفصیلی طور پر اس کمیتی کی رپورٹ کا جاڈزہ لیا۔ کہلے کو تو ہو سکتا ہے کہ کبیتے کی رپورٹ کو کھوں نہوں ایکسییت کھا گیا - لیکن آج هی کا معامله لے لوا جائے۔ عاشمی صاحب نے یهت ساوی باتوں یر اعتراض کیا -ھاشمی صاحب ھاؤس کے سبر ھیں۔ ایکت میں ترمیم لانے کے طور طویقہ هوتے میں- رول هوتے هیں - اگر انکی خواهشات کے مطابق کسی چیز کی کسی 8 کگی ایکت میں تو یہ ایک ترمهم كى صورت مهى لا سكتے تھے -بحمائے تقریر کرنے کے - اس پر تقریر كونا مناسب نهين نها - مين آج کانگریس پارٹی کو اس بات کیلئے مهارکیاد دیتا هول که انهول نے گزشته البكش مهذى فيستو ميور أس بات كا أقرار كها تبا كه اليكشي کے بعد ہم ملک کے سامنے ایک

# [شرى غلام رسول كار]

The Wakf

بہت ہوے مائفارتی کے مسملہ کو ايک قانون کي شکل مهي هاوس میں لاکر پیش دریلکے - ایک قانون هاؤس مهن لاکر پیش کرینگے - اس بل کیلئے میں کانکویس یاوٹی کو اور اسمى ليدر شريمتى اندرا كاندهى اور لا منستر کو مدارتباد دینا جاهتا ھوں - انھوں نے ملک کو ایک بہت بع مانفارتی کا مسئلہ آبے حل کردیا ھے۔ یہ سحمض مسئلہ حل کرنے کی بات نہیں ہے - مسلمانوں کا ہر طبقه - مسلمانون مين منتقلف طبقے میں - مختلف خیالت کے لوگ هیں - هر طبقے کے خیالت کو نظر میں رکھکر سب کو خوص کرنا كوئى أسان كام نههن هے - ليكن اس هاوس میں اور لوک سبها میں سبهی مسلمان معبرون کو احترام میں رکھکر یہ بل رکھا گیا - یہ ایک تاریخی کام مے اس میں خوبیاں بهی هو سکتی هیں اور خامیاں بهی هو سكتى هين - ايكن آن دى هال اس ایکت کو دیکها جائے تو یہ معلوم یتے کا که یہ ایک بہت ہوا کارنامه ھے - جو لوگ يہاں پر مائدارتيو كى باربار چرچه کرتے هيں ظاهر هے که ان کو مسلمانوں کے جذبات کا احترام كرنا چاهئے - ان كو چاهئے تها كه اس ایکت کے پاس هوتے وقت اس هائس میں حاضر رہتے اور اس ایکت

كى حمايت كرتے - مهن تدام اپوزيشن کے صعبووں کا مشکور ہوں جانہوں لے خود یهاں رہ کر اس کی تائید کی ھے - لیکن ان ممبروں کو کہنا چاھتا ھوں کہ جن کا مسلمانوں کے جذباتوں کے ساتھ کوئی واسطه نهیں هے - لیکن ولا مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتے هیں اور سیاسی طور پر معاملوں کو یہاں پر پیش کوتے هيں وہ اس وقت خود يهاں پو حاضر نہیں رہے - وہ مسلمانوں کے همدرد نہیں هیں - مائنارتیز کے ھددرد تو صرف ناتریس پارٹی ہے اور ملک کی بیتا شریمتی اندرا کاندهی ھے - اس لئے میں اس بل کی پرزور حمايت كوتا هون - مين ية بهي کهنا چاهتا هون که یه بل مسلمانون کے جذبات کو زیر نظر رکھ کر پیھی کیا گیا ہے۔ میں سمجبتا ہوں کہ يء ايك تاريختي كام هوا هي - مسلبانون کی لاکیوں کروڑوں روپیوں کے جائداد کا سلسلم کانکویس ہاوتی نے اتہایا ھے۔ بورت میں ایک کمشنر ہوگا۔ اگر بورد کو مسلمان صحیم طور پر نہیں چا سکے تو اس کا قصور همارا هوكا حكومت كا نهيس هوكا - كمشقر كون هوتا هي - كمشنو ايك آئي - اي -ايس - آفيسر هوكا گوراملت كني كوشعي ھوگی کہ و مسلمان ھو - اس سے مھن سمنجهتا هون كه بورة كا كام اچهى طرح سے چلے کا - بورة کو چلانے کی ڈسم داری

(Amdt.) Bill, 1984

مسلمانوں کی ہوگی - مسلمانوں کو ایشی ذمه داری کو قبول کونا چاهائے -

میں اس بل کی پھر پرزور تائید كرتا هون اور لا منستر - كانكريس پارتی اور ایدی لیدر شریعتی وزیراعظم اندوا گاندهی کو مهارکباد دینا جاهتا [- (30)

श्री सैयद ग्रहमद हाशमी : जनाव, मैं एक पाइन्ट ग्रजं करना चाहता हं। में गजारिश यह करना चाहता हं कि वक्फ इन्ववादरी कमेटी का नाम लिया गया है । मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता हं, लेकिन यह अर्ज करना चाहता हं कि वक्फ इन्क्वायरी कमेटी का नाम बार-बार लिया गया है । लैण्ड एक्बी-जीशन के बारे में बहुत सारी वातें आई है। वक्फ इन्क्वायरी कमेटी के रेफरेन्स में मैं यह कहंगा कि सेत्रणन 58 में कमेटी की रिकमेन्डेणन का सिलसिला लेण्ड एक्बीजीशन के बारे में मैंने भी कहा था। मैं समझता हं कि यह एक बहुत अहम बात होगी । दूसरी बात जिसको इगनोर किया जा रहा है वह यह है कि उसी मसजिद में नमाज का सिलसिला भी खाता है । दिल्ली और दसरी अगहों में क्या हालत है, उसको भी सामने रखा जाना चाहिए ।

†[شرى سيد احمد هاشمى: جناب ، مين ايك بوائنت عرض كرنا چاهیا هوں - سير گذارش يه كرنا چاهتا هوں که وقف انعوائوی کمهتی كا نام ليا ديا هـ - مين اس كا جواب نهیں دینا چاعتا هوں، لیکن یه عرض كونا چاهدا هول كه وقف انكوائوي کمیٹی کا نام ہار ہار لیا گیا ہے۔

لھابد ایکوزیشی کے ہارے میں بہت ساري باتين آئي هين - وقف انكوائري ريفونس مين مين يه کهوں کا که سيکشن ۵۸ مين کميتي کي رکملتيشن کا سلسله لهند ایکوزیشن کے بارے میں میں لے بھی کہا تھا - میں سمجهتا هور که یه ایک بهت اهم بات هوگی. درسن بات جس کو اگلور کیا جا رها هے ولا يه هے كه اسى مسجد مين نماز کا سلسله بهی آتا هے - دهلی اور دوسری جگهوں میں کیا حالت ہے اس کو بھی سامنے رکھا جانا چاہئے - آ

(Amdt.) Bill, 1984

श्री जगन्नाथ कौशल : जनाव डिप्टी चेयरमैन साहब, आज अभी अभी एक मेम्बर ने कहा कि आज एक तारीखी दिन है। कितने बिल हैं जो लोक सभा में पास होने के बाद दुबारा आज तक यहां पर आए हैं ? सारी हिस्ट्री में बहुत कम तादाद होगी वरना आम कांयदा यह है कि आपने विल पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, कानन बन गया । लेकिन इस केस में विल पास करने के बावजद कुछ ध्रमेंडमेंट लोक सभा में पास हुई ग्रीर इसके बाद यह बिल ग्राप तक उन ग्रमेंडमेंटस के सिलसिले में आया है। अब वे अमेंडमेंट कैसे पास हए, क्यों पास हुए उस पर मैं ज्यादा बात नहीं वहना चाहता । लेकिन एक बात में कहना चाहता हं कि हाशमी साहब ने एक शेर पढ़ा और उनकी खलिश है यह तीर जो है वह जिगर के पार क्यों नहीं हका । यह तीर जिगर के पार हो चुका होता अगर मैं न कहता, कि मैं इस पर अमेंडमेंट अवसेष्ट करने के लिये तैयार हूं । वरना (व्यवज्ञान) . . मैं आमतीर पर ऐसी बात कहना ग्रच्छा नहीं समझता लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हं जि हाशमी साहब को सब मालूम है। उनकी बहुत दिलचस्पी है वक्फ और

1.00

<sup>†[ ]</sup> Transliteration in Arabic script. 1060 RS-7.

[श्रो जगन्नाथ कीशल]

195

उसकी जायदादों में कि उनका अच्छा इंतजाम हो, सब चीजें अच्छी हों । लेकिन मुझे बेहद अफसोस है कि जिस दिन राज्य सभा में यह बिल आया उस दिन उन्हें एन० टी० रामाराव से ज्यादा प्यार रहा, उस दिन उन्ह बक्फ से प्यार नहीं रहा ।..(व्यवधान)...

श्री सैयद श्रहमद हाशमी: जम्मू-काशमीर से प्यार हुआ था । लेकिन मैं भी श्रजं करूं । मुझे माफ फरमायेंगे । जान बूझकर वह बिल जो था उस दिन लिया जिस दिन वह यह समझते थे कि वाक-श्राऊट करेंगे, इसलिये ...(व्यवधान) ...

†[شری سید احمد هاشمی : جمور

کشمیر سے پیار ہوا تیا - لیکن میں

بھی عرض کروں صحفے معاف فرمایئے

گا جان بوجھ کر ولا بل جو تیا اس

دن لیا جس دن ولا یہ سمجھتے تھے

که واک آؤت کریں گے اس لگے....

(مداخلت)....]

श्री उपसमापित : वह बात अपनी जगह पर है । यह इसका जवाब नहीं है ।...(ब्यब्यान)...

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की शुरु से यह मंशा रही कि जो 1954 में वक्फ ऐक्ट पास हुआ था, उस वक्फ ऐक्ट को इम्पूब कैसे करें । आपको एक बात याद होनी चाहिए कि वक्फ ऐक्ट 1954 में मास होने के बाद सारे मुल्क में वक्फ की जायदाद का इंतआम वक्फ बोर्ड को दे दिया था। लेकिन आप लोग इसी मुजमईन नहीं

थे, कोई मृतमईन नहीं था। इंतजाम ठीक सै नहीं हो रहा था और इंतजाम ठीक कौन नहीं कर रहे थे वक्फ बोर्ड के मैम्बरान ठीक नहीं कर रहे थे। सबसे ज्यादा अफगोसनाक बात पंजाब में हुई। पंजाव में जब वक्फ बोर्ड ने इंतजाम संमाला तो लाखों राया उनके पास था। उन्होंने बदइंतजामी की और उसके बाद ओवर इएट 20 लाख रुपये का छोड़ा और सरकार को, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को उस वक्फ बोर्ड को वरख्वास्त करना पड़ा और वरख्वास्त करना पड़ा और वरख्वास्त करना पड़ा और वरख्वास्त करना कोई कि हम कोई न कोई . . .

श्री संयद श्रहमद हाशमी : मैं अजं करूंगा कि अगर पंजाब वक्फ बोर्ड की कहानी आप सुनायेंगे तो और भी बहुत सारी पोल खुल जायेंगी।

† [شوی سهد احمد هاشمی: مهر عرض کررس گا که اگر پاهاب وقف بورة کی کہانی آپ سنائیلگے تو ارر بهی بہت ساری پول کہل جائینگی -]

श्री जगन्नाथ कौशंख: मैं निहाधत ग्रदय से ग्रर्ज करूंगा कि मुझे भी सुन लीजिये। ग्रगर ग्राप मुझे इन्टरप्ट न करें तो मैं ग्रापका मुक्तगुजार हुंगा।

उसके बाद जो इन्कवाधरी कमेटी आपकी बैठी, उस इन्कवाधरी कमेटी ने सबसे बड़ी सिकारिण की। उन्होंने कहा कि हमारा तजुर्बा यह कहता है कि जब तक उसका इंतजाम सरकार के एक बड़े अकतर, कमिशार की महीं देंगे तब इसका इंतजाम ठीक नहीं होगा। यह उनकी सबसे बड़ी सिफ रिण थी।

श्री सैयद ग्रहमद हाशमी : मैं फिर इन्टरप्ट करने पर मजबूर हुआ हुं । लेकिन पावर के सिलसिले में वह. (व्यवधान)...

(مداخلت)....

थी उपसभापति : हाजमी साहव, भाप हरं वक्त खड़े न हों। ग्रापने कह दिया। उनकी बात भी सून लीजिये।

श्री जगन्नाय कौशल : उन्होंने सबसे बड़ी सिकारिश यह की जैसे हिन्दू एडोटमेंट में ग्रीर जैसे बाकी रिलीजन के नीचे कमिश्तर लगा हुआ है, ऐसा ही कमिश्तर यहां लगाया जाय क्योंकि खदबदं हो रही थीं। उन नायदादों का दर्दे हमको भी है, भापको भी है और कमेटी की भी था। उसके बाद वार-बार हमने को भिश्र की कि इस पर कांसेसस या जाय । लेकिन कांसेसस नहीं माया। कांसेसम न माने की वजह से जो स्क्रीम बताई है उस स्क्रीम में बोर्ड की ग्राटोनमी कायम है। लेकिन जो रोजमरी के प्रस्तियारात हैं वे कमिश्नर को देने धावश्यक हैं। वरना में हाउस के सामने कहता चाहता हं कि वक्फ कमिशनर को एप्बाइन्ट ही न करें, वक्फ कमिश्नर को उसका चीफ एकजीवगृद्धिय प्राफिसर जायदादों मुकरंर न करें। तो ठीक इन्तजाम होने वाला नहीं है । अपने सब मस्लिम ब्रादर्ज से यह कहंगा कि इस एक्ट के पास होने के बाद उनकी कोशिश होनी चाहिये कि वे वक्फ किमश्तर की मदद करें ताकि वो उन हालात को सुधारें और हालात को सुधारना ही हमारी असलो मंत्रा है इस एक्ट को बहुत जोर से ऋिटसाइज किया गया है कि वक्फ कमिश्नर को ग्रापने यह ग्रह्मि-यारात क्यों दे दिये कि बोर्ड का फीसला

इसको नहीं मानेगा । लिखा है कि धगर बोर्ड ने कानन के खिलाफ कोई फैसला किया है तो वह कमिश्नर गवनंभेंट के ने।टिस में लाएगा ग्रीर गवनेमेंट उसको एम्जामिन करेगी सौर गवनंमेंट उस पर कीसला देगी लेकिन ग्रापको तो ग्रपनी गवर्नमेंट पर भो एतबार नहीं है। धापको जो धपनी इलेक्टिड गवर्नमेंट है । मेरा कहना यह है कि कमिश्नर को न मानने का ग्रह्तियार नहीं दिया गया कमिश्नर को सिकं इतना अस्तियार दिया गया है कि गवर्नमेंट के नोटिस में ले ब्राए ब्रगर गवर्नमेंट ठीक समझती है तो मान लें बरना गवर्नमेंट उसको रह कर दे। बाकी जो सारा मसला है वह बहस के लायक नहीं है । क्योंकि सिफं दी तीन समेंडमेंटस बाई हैं और तीनों अमेंडमेंटम को आपने सपोर्ट किया है मैं समझता हूं कि बाकी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहुंगा कि यह विल दोवारा हाउस में नहीं ग्राता था ग्रगर हमारो प्राइम मिनिस्टर बुला कर के मुझे दोबारा यह न कहती कि इस बिल को पास करन ही है भीर मैम्बरान खुद गये प्राइम मिनिस्टर के पास । उन्होंने कहा कि भैडम हम बाकी सब अमेंडमेंटस छोड़ते हैं, जो काम की अमेंडमेंटस हैं वे साप ला मिनिस्टर को वहा कि मान लें । तो उसके बाद हम को टाइम निकालना था उसके लिए ग्रापको मणकर होना चाहिये लीडर ग्राफ दो हाउस का। ग्रापको मशकर होना चाहिये पालिया-मेंटरी अभेवर्ज मिनिस्टर का वरना यह बिल पाचे होने वाला नहीं था । यह रह गया था । ग्रव सिर्फ दो तोन वाता के प्त लिक मैं कहना चाहता है। जो अमेडमेंटस आई हैं (व्यवधान) ग्रमेंडमेंटस के मुतालिक लोगों ने यह कहा है कि (ध्यवधान) धरववाद प्रापको तो # ...... अंगर (शामकाक) राग वि

(Amdt.) Bill, 1984

### [श्री जगन्नाथ कीशल]

यह कहना चाहता है कि हमने लिमिटेशन 30 साल दिया है । कुछ मैम्बरान ने कड़ा है कि ग्रापने यह वर्गो नहीं कह दिया कि इस पर लिमिटेशन एक्ट श्रन्ताई हो नडीं करेगा। कहा जा सकता था लेकिन एक ग्रामिट जो लोक समा में एक मैम्बर ने दिया मैं वह आर्गमेंट ग्रापके सामने पेश करना चाहता हूं। उसानि कहा कि अगर आप कोई लिमि-टेशन नहीं रखेंगे तो वक्फ बोर्ड वाले गुकदमा दायर हो नहीं करेंगे व्योकि तजध्वा यह कहता है कि म्कदमे तो लिमिटेशन के लास्ट दिन दायर होते हैं ग्रीर जहां पर लि। भटेशन नहीं है वहां लोग सोए रहते हैं यह बिनकुल सही बात है। इसरी में एक बात ग्रोर कह दं कि यह तो हमने एक जनरन ला बना दिना लेकिन एक एक्ट ग्रालरेडी ग्राप पास कर च के हैं, एक्सटेंशन आफ पोरियड ग्राफ लां लिमिटेशन ग्रंडर दो पब्लिक वक्फा एक्सटेंशन ग्राफ लिमिटेशन एक्ट, 1959 उसमें ग्रापने स्टेटस को ग्रहितवार दिवा या कि जिन प्रापर्टीज पर दावे नहीं हो सके उनका लिमिटेशन ग्राफ जितना मरजी वढा लें, बहतों ने बढाए हैं। मैं दो तोन स्टेटस का नाम ले दं जिनके लिमिटेशन अब तक चल रहे हैं। ग्रान्ब्र प्रदेश में जो इस वक्त एक्सडेंडेड पारियड ग्राफ लिमिटेशन है वह 31-12-86 तक है, विहार में 31-12-85 तक है, हरियाणा में भी यहा है, पंजाब में भा यहा है, कर्नाटक में भी यही है । स्टेटस ने खुद भी बढ़ाए हैं । अब हमने जनरल ला भी बना दिया अगर अभी तक दावा दायर नहीं किया, लिमिटेशन खत्म नहीं हुन्ना । 12 साल नहीं हो कर किसी ग्रादमी को पुरा मनकमल कड़जा नहीं हुआ है तो हम ग्रापको 30 वर्ष देने के लिए तैयार है । यह एक वेलकम अमेंडमेंट

है। मैं समझता हं कि सब ने इसको वेलकम किया है। दो अमेंडमेंट वाकी किस लिए बाई हैं । एक तो स्त्रीम कोर्ट का फीसला था वह इंडेस्टेड परसन के म्तालिक हमें यह कहा गया था कि गैर मुस्त्रिम की जायदाद तो लिस्ट में है वह उसका पावन्द नहीं है लेकिन जो कमेटो ने रिपोर्ट की हमने उसको मान लिया कि अगर सबें कमिश्नर ने उसको नोटिसं दे दिया है मौका दे दिया है तो फिर उनको भी उस लिस्ट को मानना पड़ेगा वरना एक साल के अन्दर जा कर के वह दिव्युत्तल मैं फैसला करा ले । तोसरी बात जो हमने की है क्योंकि पंजाब हाई कोर्ट के फैसले से एक ग्रह्बन या गई थी कि बक्फ बोर्ड दावा हो नहीं कर सकता था, उस ग्रइचन को हमने दूर कर दिया । ग्रव ग्राखिर। बात यह है कि रेंट कंट्रोल के मुतालिक लोगों ने कहा है कि उसमें छट क्यों नहीं करते लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि हम स्वारकवाद के मस्तहिक हैं कि हमने स्टेटों को लिखा भीर 9 स्टेटस ने रेंट कंट्रोल एक्ट में छट को लागु कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया उनको हम परमु कर रहे हैं। वी ग्रार राइटिंग ट देम कि इतकी रेंट कंट्रोल एक्ट ग्राप लाग कर दोजिए। मुझे उम्भीद है कि सभी स्टेटस लाग् कर देंगे। कुछ स्टेटम ने यह लिखा है कि हमारा ला, वक्फ की जायदादों के म्ताबिक रेंट कंड्रोल से बढिया है। वह ग्रगर बढ़िया लांहै तो उसको खत्म करके हम ऐसा लॉ नहीं लाना चाहते हैं जिससे नकतान हो जाये।

आखिरों में एक ही बात कहूंगा कि आज सभी ने जो जो अमेंडमेंटस लोक सभा में हुई हैं उनको तस्लीम किया है और तस्लीम ठोक किया है

लगे हुए हैं कि कन्सेन्सस से जो लॉ पास हो जाये तो वह ला कम्यूनिटी को एक्सेन्टेंग्नल होगा और मुझे अफपोस है कि कमा-कमा काई आवाज अगर निकलतो है कि यह लॉ ठाक नहीं बना तो उसके कसूरवार हम नहीं हैं, उसके कमूरवार आप लोग हैं जब आप बैठकर किना एक बात पर मुतिफका राय नहीं कर सकते ता हम लागा को ज्लेग मत करिये । हमारा मंता एक हा है और बह यह है कि बक्क का जायदाद खुई बुई न हो । वक्क करने का मंजा से जिसने बक्क किया है उसकी वह मन्जा

पुरो हा स्रोर उतका वंशा पूरी करने के

लिए हमने प्रनोर कोशिश की है।

उसके बावज्द कभी कोई बात आपके

जहन में आ जाये तो फिर आ जाइए.

गवर्तमेंट श्रापको है । गवर्नमेंट श्रापकी मदद करने के लिए तैयार है । ला को

फिर ग्रमेंड किया जा सकता है।

The law and amendment of law is a continuous process. Whenever any deficiencies are found in the working of the law, the Government is always prepared to come forward before Parliament for bringing more amendments.-

I must express my gratitude to all 'he Members who have today shown so much interest although on that day they were absent.

Now 1 commend to the House that thes<sub>e</sub> amendments be accepted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN; The question is;

"That the following amendments made hy th» Lok Sahhn in the Wakf (Amend-

ment) Bill, 1984, be taken into consideration, namely:—

#### Clause 6

- 1. "That 'at page 4, after line 1, the following be inserted, namely:—
  - '(a) in sub-section (1), the following Explanation shall be inserted at t'ne end, namely:—

'Explanation.—For the purposes of this section and section 6A, the expression "any person interested therein', occurring in sub-section fl) of this section and in sub-section (1) of section 6A, shall, in relation to any property specified as wakf property in a list of wakfs published, under subsection) (2) of section 5, after the commencement of the Wakf (Amendment) Act, 1984, shall include also every person who, though not interested in the wakf concerned, is interested in suc'n property and to whom a reasonable opportunity had been afforded to represent his case by notice served on him in that behalf during the coursei of the relevant inquiry under section 4.".

- 2. 'That at page 4, line 2,—for '(a)' substitute '(b)"
- 3. "That at pag<sub>e</sub> 4, line 4,—
  for '(b)'. substitute '(c)"

#### Clause 65

4. "That at page 49, after line 27, the following be inserted, namely:—

Period of limitation for recovery of wakf properties  $t_0$  be thirty years.

'66G. Notwithstanding anything contained in the Limitation Act, 1963, (36 of 1963) the period of limitation for any suit for possession of immovable property comprised in any wakf or possession of any interest in such property shall be a period of thirty years and such priod shall begin to run when the possession of the defendant becomes adverse to the plaintiff.